मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा तृतीय सत्र

जून-जुलाई, 2014 सत्र

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014

(30 आषाढ़, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 3] [अंक- 16]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014

(30 आषाढ़, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डा. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

निधन का उल्लेख

श्री पवेसिंह पारगी, पूर्व सदस्य विधान सभा

अध्यक्ष महोदय—मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री पवेसिंह पारगी का 7 जुलाई 2014 को निधन हो गया है. श्री पवेसिंह पारगी का जन्म 8 अप्रैल 1972 को ग्राम रजला, जिला झाबुआ में हुआ था. आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे, श्री पारगी ने सन् 2003 से 2008 में प्रदेश की बारहवीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से झाबुआ का प्रतिनिधित्व किया था. आपके निधन से प्रदेश के सार्वजनिक जीवन की अपूरणीय क्षति हुई है.

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) - माननीय अध्यक्ष महोदय, मृत्यु अवश्यंभावी है, जो आया है, उसे जाना है. जब कोई असमय जाता है तो मन में गहरी वेदना और पीड़ा छोड़ जाता है. श्री पवेसिंह पारगी जी की अभी उम्र ही क्या थी! वर्ष 1972 में उनका जन्म हुआ था. लगभग 42 वर्ष की उनकी उम्र थी. इस अल्प आयु में, छोटी-सी उम्र में वे हमारे बीच से चले गये.

माननीय अध्यक्ष महोदय, झाबुआ वह जिला है, जहां प्रारंभ से वहां कांग्रेस का बहुत मजबूत संगठन रहा है. वैसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जिले में काम प्रारंभ किया. अनेकों पद पर रहे. जिले के महामंत्री भी रहे और महामंत्री के नाते भी पूरे जिले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा करने का काम किया और वर्षों बाद कांग्रेस के उस गढ़ में झाबुआ प्रॉपर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में कोई जीते तो वे श्री पवेसिंह पारगी थे. इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि जनता के बीच में भी उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, उनकी लोकप्रियत भी रही और विधायक के नाते उन्होंने लगातार झाबुआ जिले में विशेषकर उनकी विधान सभा क्षेत्र के विकास के मामले न केवल उठाए, बल्कि उन्होंने मुझे कई बार वहां जाने के लिए, अतिआग्रही वे थे और जमीनी हकीकत कई बार होती थी, कपिल धारा के कुओं के संबंध में हो, बाकी चीजों के संबंध में हो, आवास कुटीरों के संबंध में हो, उनका बड़ा दृढ़ आग्रह रहता था कि आप चलिए, आप देखिए. मैंने जन दर्शन के कार्यक्रम उनके साथ एक बार नहीं लगातार अनेकों बार किये. वैसे में कहीं अनियमितता या गलत चीज मिलती थी तो वे कभी अन्याय सहन नहीं करते थे. उसको पूरी प्रखरता के साथ कहते थे. पूरी ताकत के साथ उठाते थे.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि उनसे बड़ी अपेक्षाएं थीं. 42 साल की छोटी उम्र, लगातार आगे काम करने की उनकी ललक थी. एक बीमारी ने उनको हमसे छीना है. उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी का केवल एक कार्यकर्ता नहीं गया, बल्कि झाबुआ जिले ने एक उदीयमान नेता को खोया है. आगे भी भविष्य में वे बहुत अच्छा काम करते, यह उम्मीद थी.

"बड़े गौर से सुन रहा था जमाना,

तुम्हीं सो गये दास्तां कहते-कहते."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजन, मित्रगण, अनुयायी सभी साथियों को यह गहन दुख सहन करने की क्षमता दे. ओम शांति.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे)- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पवेसिंह पारगी जी वर्ष 2003 से 2008 तक जब हम विपक्ष में तब सदन में आए और उनको देखकर लगता था कि यह धरातल का कोई नौजवान नेता खड़ा हुआ है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि झाबुआ जैसे कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अलख जगाई. यह तो संसार का सच है कि जब व्यक्ति आता है तो आने के साथ ही उसका जाने का समय निर्धारित हो जाता है. हम लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए पीड़ा भी होती है और उसकी क्षतिपूर्ति करना भी आसान नहीं हो पाता है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पवेसिंह जी ने जिन परिस्थितियों में और वहां जितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, निश्चित रूप से उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो हानि हुई ही, जिसकी पूर्ति जल्दी संभव नहीं है. लेकिन राजनीति जगत को भी हानि हुई है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक नौजवान वहां धारा के विपरीत कश्ती निकालकर ले आए तो वे श्री पवेसिंह पारगी जी थे.

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके जाने से पूरे सदन को दुख है, पूरे प्रदेश को दुख है, हमें भी दुख है और जब इस तरह के नौजवान जाते हैं तो राजनीति में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि भविष्य के देदीप्यमान सितारे खड़े हैं. लेकिन अचानक चले जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है. उनके जाने

से बहुत दुख हुआ. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे.

अध्यक्ष महोदय- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति सहानुभूतिपूर्वक हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं, अब सदन दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेगा.

(सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.)

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित.

(प्रातः 10.41 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.)

समय 10.51 बजे **{ अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए }**

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सदस्य माननीय कक्काजी चारों धाम की यात्रा ,मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेकर लंबे समय के बाद पधार गए हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—सिसोदिया जी, वे विदेश गए थे, चारों धाम नहीं गए थे.

श्री के.पी.सिंह-अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया है. मै ब्राजील गया था फुटबाल वर्ल्ड कप देखने.

स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन

1. (*क्र. 2541) श्री मुकेश नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के जनपद पंचायत शाहनगर एवं पवई में किन-किन स्व-सहायता समूहों द्वारा किस-किस विद्यालय के लिये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? (ख) सभी स्व-सहायता समूहों को उनकी शाला की उपस्थिति के मान से खाद्यान्न एवं नकद राशि का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो किस समूह को प्रश्न दिनांक तक किस माह तक की राशि एवं खाद्यान्न का भुगतान किया गया है? समूहवार जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि शाला में उपस्थिति संख्या से अधिक थी? कम मान से भी किसी समूह को राशि भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं? यदि हां, तो शिकायतकर्ता का नाम, पता बताएं? (घ) प्रश्न दिनांक तक क्या किसी समूह पर योजना के अन्तर्गत बकाया राशि है? यदि हां, तो क्या ये राशि वसूल की गई है? यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पन्ना जिले की जनपद पंचायत शाहनगर एवं पवई में प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूह की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है. (ख) जी हां. सभी स्व-सहायता समूहों को संबंधित शाला में दर्ज छात्र संख्या की औसत उपस्थिति के अनुसार खाद्यान्न का आवंटन एवं राशि उनके खाते में अंतरित की जाती है. प्रश्न दिनांक तक कार्यरत सभी स्व-सहायता समूहों को माह जून, 2014 तक का खाद्यान्न एवं राशि जारी कर दी गई है, समूहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है. (ग) जी हां. केवल माध्यमिक शाला पटना कलां में कार्यरत शिव मंडल स्व-सहायता समूह पटना कलां विकास खण्ड पवई द्वारा कम राशि प्राप्त होने की शिकायत की गई है. शिकायतकर्ता श्रीमती वन्दना, अध्यक्ष शिवमंडल स्व-सहायता समूह पटना कलां विकास खण्ड पवई है. परीक्षण उपरांत शेष राशि रुपये 27,638.00 चेक क्र. 154913 दिनांक 8-7-2014 के द्वारा शिव मंडल स्व-सहायता समूह पटना कलां को भुगतान कर दी गई है. (घ) जनपद पंचायत पवई एवं शाहनगर में प्रश्न दिनांक तक किसी स्व-सहायता समूह पर योजनान्तर्गत कोई बकाया राशि नहीं है. प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है.

श्री मुकेश नायक- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि स्व सहायता समूह जो स्कूलों में आहार पोषण की योजना चलाते हैं उनको औसत उपस्थिति के आधार पर राशन और राशि का वितरण किया जाता है. मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक तो जो विस्तृत जानकारी आई है उसमें सौ फीसदी बच्चों के राशन के आहरण की बात कही गई है और जवाब में यह आया है कि अनुमान पर आधारित राशन का आहरण किया जाता है. इसका संबंध मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान से भी है और ये जो औसत राशन का वितरण

होता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर ये औसत तय किया जाता है कि सौ में से कितने बच्चे आएँगे और किस आधार पर ये राशन का वितरण किया जाता है?

श्री गोपाल भार्गव-माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है इसमें तीन महीने का एडवान्स राशन और तीन महीने की एडवान्स राशि स्कूलों के लिए उपलब्ध करवा दी जाती है और उसके बाद में उनकी जो उपस्थिति होती है उसका वेरीफिकेशन करवा कर राशि का समायोजन कर लिया जाता है और खाद्यान्न का समायोजन कर लिया जाता है.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, ये राशि तीन तीन महीने में नहीं दी जाती ये मंत्री जी बाताएं क्योंकि अनेक उदाहरण हैं मध्यप्रदेश में जबकि ये अलाटमेन्ट तीन महीने से ज्यादा डिले हुआ है और जब ये डिले हुआ है तो ये किस आधार पर औसत निर्धारित करते हैं. मेरा मूल प्रश्न यह है कि सौ फीसदी बच्चों का राशन लिया गया है और सौ फीसदी बच्चों की उपस्थिति नहीं है. इस राशन का और इस राशि का दुरूपयोग किया गया है. क्या मंत्री जी इस पर कोई कार्यवाही करेंगे या जांच करेगे,अगर कोई दोषी पाया गया तो?

श्री गोपाल भार्गव- अध्यक्ष महोदय, शालाओं में जो मध्यान्ह भोजन योजना है ये बहुत व्यापक योजना है और राज्य के करोड़ों छात्र इससे लाभान्वित होते हैं और उनके लिए वहां पर पका हुआ भोजन दिया जाता है. एक लाख से अधिक स्व-सहायता समूह इसमें काम करते हैं और इतने ही स्कूल इससे संबंधित है जिनमें ये योजना चलाई जाती है. यह इतनी व्यापक स्तर पर योजना है, इसमें कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी रह जाती है ,कभी कमी हो जाती है तो अध्यक्ष महोदय, मैने यह विचार किया है कई प्रकार की शिकायतें आती हैं जबकि वास्तविक उपस्थिति कम होती है. हम मध्याह्न भोजन योजना को पारदर्शी और ज्याद सटीक बनाने के लिए इसके नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं और ज्यादा इसके नियम हम व्यवस्थित कर अच्छे नियम बना रहे हैं, जिससे

राज्य में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं रहे कि जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो या पैसो का या खाद्यान्न का नुकसान न हो.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, समूहों के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, क्या ऐसा कोई नियम है कि हर 8 दिन या 15 दिन में बदला जा सकता है?

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई नियम नहीं है. यदि काम अच्छा कर रहे हैं तो फिर उनको बदलने का कोई प्रश्न नहीं है. मध्याह्न भोजन योजना गांव में है और जैसा मैंने कहा कि एक लाख से अधिक स्कूलों में चलाई जाती है और बहुत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है, इस कारण से हो सकता है कि कहीं कहीं इसमें गड़बड़ी हो रही हो, जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत् कराया. यदि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है, हफ्ते दो हफ्ते या महीने भर में समूह बदले जाते हैं तो यह बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है और यदि ऐसा प्रसंग या प्रकरण सामने आएगा तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे और नियम भी बनाएंगे कि जब तक कोई वाजिब कारण नहीं हो, इतने अल्प समय में किसी भी समूह को परिवर्तित नहीं किया जाय.

श्री मुकेश नायक—ठीक है.

प्रश्न संख्या—(2)

इन्द्रानगर-भैंरोघाट प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण

2. (*क्र. 4016) श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र की इन्द्रानगर-भैंरोघाट प्रधानमंत्री सड़क निर्माण की निविदा कब स्वीकृत की गयी? (ख) अनुबंध के अनुसार इस सड़क निर्माण की समयावधि क्या थी? (ग) अब तक इस सड़क निर्माण का कितना कार्य हुआ है, कितना शेष है? देयकवार भुगतान सहित जानकारी दें। सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) दिनांक 26-12-2011 को स्वीकृत की गई. (ख) अनुबंधानुसार उक्त मार्ग को दिनांक 25-11-2012 तक पूर्ण किया जाना था. (ग) इन्द्रानगर से भैंरोघाट मार्ग की कुल लंबाई 26.67 स्वीकृत है. परन्तु 0 से 2.10 कि.मी. में नौरादेही वन अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है, जिसमें वन विभाग द्वारा अनुमति न मिलने के कारण 2.10 कि.मी. लंबाई विलोपित की गई. शेष 24.57 कि.मी. में से 10.70 कि.मी. लंबाई का कार्य पूर्ण हुआ है. 2.00 कि.मी. वन प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर 11.87 कि.मी. लंबाई का कार्य पूर्ण किया जाना शेष है. जानकारी †संलग्न परिशिष्ट अनुसार. मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है, पूर्णता की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है.

श्रीमती प्रतिभा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत मंत्री जी जानना चाहती हू कि मेरे प्रश्न (क) में जो उत्तर दिया गया है, वह गलत है कि इन्दिरा नगर भैरोघाट दिनांक 26.12.2011 को स्वीकृत की गई थी. जबकि यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रथम चरण लगभग 1998 में स्वीकृत की गई थी और लगभग उस समय आधे से अधिक सड़क का अर्थवर्क उसी समय हो गया था. किन्ही कारणोवश यह बंद हो गई थी, लेकिन विधानसभा प्रश्न लगाने पर माननीय पूर्व अध्यक्ष स्व.रोहाणी जी एवं माननीय मंत्री जी के सहयोग से यह पुनः स्वीकृत हुई थी और इसका कार्य पुनः 26.12.2011 को प्रारंभ किया गया. मेरे प्रश्न (ख) के उत्तर में दिया गया है....

अध्यक्ष महोदय—पहले इसका प्रश्न का जवाब ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न पूछ लीजिएगा.

श्रीमती प्रतिभा सिंह—अध्यक्ष महोदय, वह भी इसी प्रश्न से संबंधित है. उसमें बताया है कि उक्त मार्ग 25.11.2012 को पूर्ण किया जाना था, लेकिन 26.67 किलोमीटर सड़क में से 10.70 किलोमीटर की सड़क पूर्ण हुई है. जबकि काम प्रारंभ किए हुए ढाई वर्ष हो गए हैं, जबकि यह सड़क आधे से कम हुई है, इसलिए माननीय मंत्रीजी से मेरे दो प्रश्न हैं कि एक तो यह सड़क 13 वर्ष बाद पुनः स्वीकृत की गई थी और उसके लिए हम आपके और पूर्व अध्यक्ष जी के आभारी हैं, लेकिन अभी आधी सड़क भी नहीं बन पाई है, इसमें दूसरा प्रश्न यह है कि जो 2.10 किलोमीटर की सड़क वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण उसको विलोपित किया जा रहा है, उसको माननीय मंत्री जी से और माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि उसकी भी अनुमति दे दें, ताकि वह काम भी पूर्ण हो जाए.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया. यह बात सही है कि 2003 में यह सड़क स्वीकृत हुई थी, जब योजना प्रारंभ हुई थी, उसके बाद में वन विभाग की आपत्ति के कारण 2.10 किलोमीटर का फारेस्ट एरिया आ रहा था, उसके बाद से काम

रूक गया और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से उसकी स्वीकृति नहीं हुई थी. इसके बाद में यह विचार हुआ कि उस 2.10 किलोमीटर फारेस्ट इलाके को छोड़कर दोनों तरफ की सड़क बना दी जाए, इस सड़क की लंबाई कुल 26.67 किलोमीटर है, तो इसे दो हिस्सों में एक 10.70 और दूसरी तरफ 11.87 किलोमीटर सड़क दो टुकड़ों में बनाने की कार्यवाही दिसंबर तक, माननीय सदस्या को अवगत् कराना चाहता हूं कि हम प्रयास करेंगे कि प्राथमिकता से और जल्दी से जल्दी इस काम को कराया जाय, ठेकेदार से भी कहा है और दिसंबर अंत तक हम इस सड़क का काम पूरा करवा देंगे. चूंकि इसमें फारेस्ट के कारण सबसे ज्यादा समस्या आई है और अब जब यह तय हो गया है कि वह दो किलोमीटर की सड़क जो फारेस्ट में आती है, उसे छोड़कर शेष दोनों तरफ की सड़क हम बना देंगे. मुझे लगता है कि जल्दी काम हो जाएगा.

श्रीमती प्रतिभा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वह 2 किलोमीटर सड़क न रोकी जाए. यहां पर वन मंत्री जी से भी चाहती हूँ कि अनुमति दे दें क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक सड़क स्वीकृत होती है और अगर वह दो किलोमीटर छूट जाएगी तो फिर वह हमेशा के लिए छूट जाएगी इसलिए हमारा दोनों मंत्री जी से निवेदन है कि वे इसकी अनुमति दे दें और यह कार्य हो जाए और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने दिसम्बर तक बोला है अगर मान लीजिए दिसम्बर तक नहीं करते हैं तो क्या वे संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, वनमंत्री जी नहीं है लेकिन मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम स्वा स्वयं दिल्ली जाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे और जो सड़क का दो किलोमीटर का भाग शेष है इसको भी हम बनाने का काम करेंगे और प्रयास यह करेंगे,अभी हमने जो समय दिया है और जो हमें आश्वासन मिला है कि दिसम्बर तक इसको पूरा कर लेंगे. हम प्रयास यह करेंगे कि दिसम्बर तक पूरा हो जाए और यदि दो चार महीने का समय भी ज्यादा लगता

है लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि भारत सरकार की अनुमति मिलने में और अन्य जो कागजी कार्यवाहियां हैं उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन प्राथमिकता से इस सड़क का काम पूरा करवा दिया जाएगा.

श्रीमती प्रतिभा सिंह—धन्यवाद.

नियत रूट पर नहीं चलने वाली बसों का परमिट समाप्त किया जाना

3. (*क्र. 3618) श्री कालूसिंह ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि यात्री वाहनों हेतु जारी परमिट में नियत रूट अनुसार तय स्थानों पर पंजीकृत यात्री बसों को अनिवार्य रूप से जाना चाहिये? क्या नियमों में नियत रूप पर नहीं चलने वाली बसों के परमिट समाप्त करने का प्रावधान है? (ख) यदि हां, तो फिर इन्दौर एवं धार रूट से धामनोद एवं माण्डव की ओर जाने वाली बसों का परमिट व्हाया गुजरी तथा बगडी होकर गन्तव्य स्थान तक जाना निर्धारित होने के वाबजूद एक भी बस गुजरी व बगडी क्यों नहीं जाती है? (ग) क्या शासन बसों के गुजरी व बगडी तक जाने की व्यवस्था करेगा? यदि हां, तो कब तक समयावधि बतायें? क्या निर्देशों का पालन नहीं करने वाली बसों के परमिट निरस्त किये जावेंगे?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हां. जी हां. (ख) इन्दौर से धामनोद एवं धार से माण्डव मार्ग पर व्हाया गुजरी, बगडी होकर बसों के मार्ग पर संचालन ना होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है. आकस्मिक जांच के दौरान वाहनों का निर्धारित रूप पर संचालित होना सुनिश्चित किया जाता है निर्धारित मार्ग पर संचालन ना पाये जाने पर नियमानुसार समझौता शुल्क भी वसूल किया जाता है. (ग) जी हां.

श्री कालूसिंह ठाकुर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नियत रुट पर बस नहीं चलने के संबंध में मेरा प्रश्न है. मेरे विधानसभा क्षेत्र में फोर लेन की अनेक रोड बन गयी हैं. माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हुई थी और मैंने उनको अवगत कराया था. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जितनी भी बसों का परमिट जारी किया गया,तो क्या ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए परमिट जारी किये गये या सीधे फोर लेन से ही बस चलेगी, इसके लिए परमिट जारी किये गये? अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन के बाद हर गांव में यह समस्या सामने आई, मैंने आरटीओ से पूछा उनके शब्द थे, हम क्या करें, हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है,क्या मैं मेरा परिवार लेकर के सारी बसों की रखवाली करुंगा क्या. तो मैंने दो बार उनसे निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी फिर माननीय मंत्री जी से खजुराहो में मुलाकात हुई थी तो मंत्री जी ने कहा कि मैं आपके सामने आरटीओ से बात कराता हूँ.

अध्यक्ष महोदय—आप सीधे प्रश्न करें कि आप क्या चाहते हैं?

श्री कालूसिंह ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बसों को परमिट गुजरी, धामनोद, बगड़ी, माण्डव के लिए जारी किये गये हैं लेकिन ये बसें वहां से न होकर के बायपास से निकल जाती हैं. मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जितनी भी परमिट उन नियम रुटों के लिए जारी की गयी हैं वह सारी बसें उन गांवों से होकर के गुजरें ताकि उस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल सके. माननीय मंत्री जी से क्या इस संबंध में आदेश जारी करेंगे?

श्री भूपेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है,माननीय सदस्य ने मुझे इसके बारे में एक माह पहले बैठक में अवगत कराया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में गुजरी और बगड़ी दो स्थान हैं इन दोनों स्थानों पर जो बसें वहां पर हैं,वे बसें उन स्थानों पर नहीं जा रही हैं. मैंने तत्काल उसी समय निर्देश जारी किये थे कि यह बसें जिस मार्ग से जाना चाहिए उस मार्ग से जायें. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी सुनिश्चित किया था कि माननीय विधायक जी की चिंता बहुत वाजिब है और इसलिए उनके कहने के बाद एक सप्ताह में हमने वहाँ पर चार नये परमिट जारी किये हैं और चार बसें वहाँ पर इन्दौर से धामनोद जाने लगी और जो बाकी बसों के बारे में विधायक जी ने कहा ,वह बात सही है कि कुछ बसें ऐसी हैं जो गुजरी और बगड़ी होकर नहीं जाती हैं सीधी निकल जाती है, उस पर भी हमने कार्यवाही की है. 7 बसों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई बाकी बसों को नोटिस जारी किया गया है और अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को औऱ सुनिश्चित करुंगा कि माननीय विधायक जी के जो गुजरी और बगड़ी दो स्थान हैं, वहाँ पर जिन बसों को रूट हैं, परमिट हैं वह बसें वहाँ से होकर जायें और आप मुझे धन्यवाद करो कि मैंने एक सप्ताह में आपको चार बसें परमिट जारी कर के दे दी, जो संभव नहीं था और इन्दौर से धामनोद बसें चलने लगी.

श्री कालू सिंह ठाकुर – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं हूं उसके लिए माफ करियेगा.पहली बार चुनकर आया हूं.मैं हमारी सरकार औऱ माननीय मंत्री जी का बहुत

बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं कि अल्प समय में उन्होंने तत्काल चार बसों का परमिट जारी किया और उसको सुचारू रूप से चलाया लेकिन मेरा एक औऱ निवेदन है कि अन्य और बसें भी वहाँ नहीं जा रही हैं उन पर भी कार्यवाही हो.

अध्यक्ष महोदय--- वहाँ से भी बस चलवा दें, गुजरी बगड़ी से भी चलवा दें.

श्री भूपेन्द्र सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनकी गुजरी और बगड़ी दोनों जगह ससुराल है और मैं दोनों जगहों पर बसें भिजवाऊँगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--- कालू जी, ससुराल गेंदा फूल.

हरदा जिले में एनआरएलएम लागू किया जाना

4. (*क्र. 3697) श्री संजय शाह, मकडाई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एनआरएलएम सघन रूप से हरदा जिले में कब लागू होगा? वर्तमान में जिन जिलों में सघन रूप से चल रहा है उन्हें चयन के आधार क्या है? (ख) हरदा जिले में कितने स्व-सहायता समूह विगत 5 वर्षों में बनाये गये? कितने समूहों को आय अर्जन से जोड़ा गया? यदि सभी समूहों को आय अर्जन से नहीं जोड़ा गया तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मिशन अन्तर्गत सघन कार्य हेतु जिन जिलों को वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में सम्मिलित किया जाएगा, उनमें हरदा जिला भी सम्मिलित है. वर्तमान में सघन कार्य के लिये चयनित जिलों के चयन का आधार 9 जिलों में पूर्व से डिपार्टमेन्ट फॉर इण्टरनेशनल डेवलमेंट (डी.एफ.आइ.डी.) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से क्रियान्वित की जा रही म. प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना के कार्यों का विस्तारण किए जाने की दृष्टि से तथा बालाघाट सहित इन सभी 10 जिलों का अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होना है. (ख) हरदा जिले में विगत 5 वर्षों में 204-स्वसहायता समूह बनाये गये है. सभी स्व-सहायता समूहों को आय अर्जन से जोड़ा जा चुका है.

श्री संजय शाह मकड़ाई—माननीय अध्यक्ष महोदय, एनआरएलएम शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है मैंने जानना चाहा था किन किन जिलों में यह योजना चल रही है. लेकिन रेंडम मुझे यहाँ पर जवाब दिया गया कि 10 जिलों में यह योजना संचालित है . यह 10 जिले कौन से हैं यह मैं जानना चाह रहा था औऱ दूसरा यह कि मेरी टिमरनी विधानसभा भी आदिवासी बाहुल्य है. जवाब में आया था कि यह जो 10 जिलों में योजना चल रही है वह आदिवासी बाहुल्य होने के कारण उन जिलों को चयनित किया गया था तो क्या मंत्री महोदय , मेरी विधानसभा को भी उस योजना में सम्मिलित करेंगे.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न किया है कि दस जिलो कौन से हैं. तो यह 10 जिले अलीराजपुर,अनूपपुर, बड़वानी,धार,डिंडौरी, झाबुआ,मंडला,शहडोल, श्योपुर और बालाघाट हैं. अध्यक्ष महोदय, जिलों की आदिवासी जनसंख्या के आधार पर औऱ पिछड़ेपन के आधार पर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यह योजना चलाई जाती है. अभी यह सघन रूप से दस जिलों में चल रही है और जैसे ही हमारा यह जो प्रोग्राम चलता है ,डीपीआईपी. यह समाप्त होगा तो डीपीआईपी के जो 15 जिले हैं , यह 15 जिले भी अब मध्यप्रदेश में शामिल कर लिये जाएंगे तो इस तरह से 10 अभी जो प्रचलन में हैं जिनमें योजना चल रही है और 15 जिले वह हैं जो डीपीआईपी के होंगे 2015 से, अगले वर्ष से.तो यह शामिल कर लिये जाएंगे इस तरह से 25 जिले हो जाएंगे. अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार का हमारे राज्य के जिलो का आय का आंकड़ा है उस दृष्टि से हरदा जिला 2018-19 तक इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा.

श्री संजय शाह मकड़ाई—माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 और 2020 के बीच में लिया जाना बताया जा रहा है . मैं समझता हूं कि काफी विलंब होगा औऱ इतनी अच्छी योजनाओं का लाभ हमारी विधानसभा के पिछड़े लोगों को नहीं मिल पाएगा. मेरा मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि इसको शीघ्रातिशीघ्र, अगले साल, इस जिले को या मेरी विधान सभा को अगर ले लें तो कृपा होगी. दूसरा स्वसहायता समूह के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था 206 स्वसहायता समूह को रोजगार से लगा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसे और भी कई समूह हैं जिनको वहाँ पर अभी कार्य नहीं मिल पाया है. अध्यक्ष महोदय, आप आदेश करेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी को वह लिस्ट उपलब्ध करा दूँगा. क्या उनको भी रोजगार योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे.

श्री गोपाल भार्गव-- माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक के सहयोग से योजना चलाई जाती है, 75 परसेंट विश्व बैंक का होता है और 25 प्रतिशत अपनी सरकार का होता है. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है इनका ब्लाक ट्रायबल ब्लाक है, तो हम यह परीक्षण करा लेंगे कि कितने समूह बन सकते हैं और क्या स्वरोजगार की व्यवस्था वहाँ पर हो सकती है और हम बैंकों के साथ कनवरजेंस करके और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे.

श्री संजय शाह मकड़ाई-- अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद और मंत्री जी को भी धन्यवाद.

प्रश्न संख्या-- 5 (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या-- 6 (अनुपस्थित)

लोक सेवा गारंटी योजना केन्द्रों पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण

7. (*क्र. 4071) पं. रमेश दुबे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के तहसील चौरई, चाँद एवं तहसील बिछुआ में लोक सेवा गारंटी योजना के तहत किन-किन मदों में कितनी-कितनी संख्या में जनवरी 2013 से मई 2014 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? उनमें से कितने आवेदनों में सेवाएं समय-सीमा में प्रदाय की गयी, तथा कितने आवेदन पत्र निरस्त हुए? कितने आवेदनों में समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् सेवाएं प्रदान की गयी है? तहसीलवार जानकारी दें? (ख) उक्त सेवाओं को प्रदान करने/कराने में तहसील स्तर पर पदस्थ सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेस की क्या भूमिका है? (ग) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में बी.पी.एल. की सूची में नाम जोड़े जाने के प्राप्त आवेदनों पर स्थल पर जाकर जांच करने की नियमों में क्या व्यवस्था है? क्या यह जांच सही-सही नियमानुसार की जाकर आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा रहा है? (घ) प्रश्नकर्ता को क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह शिकायतें प्राप्त हुईं हैं कि बिना वास्तविक जांच किये तहसील कार्यालय में ही मनमाने तौर पर बी.पी.एल. आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया जा रहा है? पुनः दुबारा आवेदन करने पर भ्रष्टाचार कर उसका नाम जोड़ दिया जाता है? जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा है? क्या शासन उक्त प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगायेगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चौरई, चाँद एवं तहसील बिछुआ में लोक सेवा गारंटी योजना के तहत जनवरी 2013 से मई 2014 तक प्राप्त आवेदनों एवं सेवा प्रदाय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है. (ख) उक्त सेवाओं का प्रदान करने में सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेन्स की प्रत्यक्ष भूमिका न होकर लोक सेवा केन्द्र पर प्रदत्त स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी की मॉनिटरिंग की है. (ग) प्रश्नांश ''क'' के संबंध में बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़े जाने के प्राप्त आवेदनों पर स्थल पर जाकर जांच नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी/पंचायत सचिव द्वारा की जाती है. यह जांच नियमानुसार की जाकर आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा रहा है. (घ) जी नहीं, यह सही नहीं है कि बिना वास्तविक जांच किये तहसील कार्यालय में ही मनमाने तौर पर बी.पी.एल. आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया जा रहा है और पुनः दुबारा आवेदन करने पर भ्रष्टाचार कर उसका नाम जोड़ दिया जाता है. इस सेवा के संबंध में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

पं.रमेश दुबे-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न घ.....

डॉ.गौरीशंकर शेजवार-- अध्यक्ष महोदय, रमेश दुबे जी के रोज प्रश्न आ रहे हैं, बात क्या है और बहुत जबर्दस्त पूछते भी हैं. मंत्रियों को बिल्कुल हिलने नहीं देते. दुबे जी, चल क्या रहा है, यह तो बताओ. प्रश्न तो अपनी जगह पर ठीक हैं.

पं.रमेश दुबे-- माननीय मंत्री जी, यदि मैं यह जानकारी दे दूँगा तो फिर प्रश्न आने बंद हो जाएँगे.

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न घ में लोक सेवा गारंटी से गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के विषय में मैंने कहा था कि वास्तविक रूप से उनकी जाँच नहीं की जाती और वास्तविक जाँच न करके ऐसे जो गरीबी रेखा में जिनके नाम आते हैं उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं. माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में इस बात की जानकारी दी है कि चौरई तहसील में 4183 आवेदन में से 880 आवेदन स्वीकृत हुए. बिछुआ तहसील में 1899 में से 35 आवेदन स्वीकृत हुए. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आवेदन स्वीकृत हुए हैं, यह कितने ऐसे आवेदन हैं, जो द्वितीय बार उन्होंने जो आवेदन लगाया तब स्वीकृत हुए है, उसकी जानकारी देंगे.

श्री भूपेन्द्र सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक रमेश दुबे जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संबंध में सदन में हम सबकी जानकारी में जो विषय लाए हैं. अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरे देश में पहली बार लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाकर और यह सुनिश्चित करने का काम किया कि हमारे प्रदेश के अन्दर जितनी भी शासकीय सेवाएँ हैं, उन शासकीय सेवाओं का लोगों को एक निश्चित समय सीमा में, उसका लाभ मिले, इसके लिए हमने कानून बनाया और अध्यक्ष महोदय, हमारा मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने यह लोक सेवा गारंटी अधिनियम हमारे मध्यप्रदेश के अन्दर बनाने का काम किया है (मेजों की थपथपाहट) आज मंत्री के नाते मेरे पास

भारत सरकार के अनेक मंत्रियों के फोन आते हैं कि आपके राज्य का लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी पूरी जानकारी आप भिजवाइये और आज देश के 16 राज्यों ने इसको स्वीकार किया है.

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में जो उनका विधान सभा क्षेत्र है उसके बारे में उन्होंने जो आवेदनों के बारे में जानकारी चाही है, अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायक जी का विधान सभा क्षेत्र है उसमें दो विकासखंड हैं, बिछुआ और चौरई, बिछुआ में 1947 आवेदन प्राप्त हुए और चौरई में 4955 पूरे छिन्दवाड़ा जिले में कुल संख्या 58980 है. इसमें समय-सीमा में हमने आवेदनों का निराकरण किया है उसकी जानकारी इस प्रकार है—1947 आवेदनों के विरुद्ध 1868, 3955 आवेदनों के विरुद्ध 3809.

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कठिनाई आती है कि हमारे यहां जो गरीबी रेखा के आवेदन हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है इसमें अधिकतर वह आवेदन होते हैं जो एक बार अस्वीकृत हो चुके होते हैं, उनको लोग कह देते हैं कि आप फिर से आवेदन लगा दो और व्यक्ति इस आशा में आवेदन लगा देते हैं कि शायद फिर से निराकरण हो जायेगा. इस प्रकार गरीबी रेखा के आवेदन लोग बार-बार करते हैं और अंत में जाकर वह निराकृत होकर आता है इस प्रक्रिया के कारण थोड़ी बहुत कठिनाई होती है. गरीबी रेखा के आवेदन लोग बार-बार करते हैं, कोई आवेदन एक बार अस्वीकृत हो चुका है तो वह दोबारा भी अस्वीकृत ही होगा इस बारे में भी हम विचार कर रहे हैं कि यह स्थिति आगे न बने.

पं. रमेश दुबे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि जो वास्तविक परीक्षण होना चाहिये संबंधित कर्मचारी वह वास्तविक परीक्षण नहीं करते हैं वे मनमाने ढंग से आवेदन को निरस्त कर देते हैं. यह सरकार की एक अच्छी योजना है लेकिन इस योजना को निचले स्तर पर जिस प्रकार प्रभावी बनाना चाहिये उस प्रकार का काम नहीं चल रहा है. मैं यह कहना चाहता हूँ

कि कई द्वितीय बार आवेदन आये, मेरा यह भी आरोप है कि किसी न किसी व्यवस्था के माध्यम से उन गरीब लोगों के आवेदन फिर स्वीकृत होते हैं. मेरा अंतिम आग्रह है कि मैं जिनके नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ मेरी उपस्थिति में क्या उनकी जांच कराई जायेगी. उससे बहुत स्पष्ट हो जायेगा. जैसे श्रीमती राजकुमारी मदन शर्मा, निवासी वार्ड नं. 2 चौरई, श्रीमती उमा लक्ष्मी नामदेव, निवासी वार्ड नं. 1 चौरई, श्रीमती कमला बेनी ठाकुर, निवासी वार्ड नं. 14 चौरई, संतोषी पिता राजू भलावी, निवासी वार्ड नं. 14 चौरई ...

अध्यक्ष महोदय—कितने नाम हैं ?

पं. रमेश दुबे—अध्यक्ष महोदय, ऐसे 11 नाम हैं जो मेरी जानकारी में है जिनके आवेदन द्वितीय बार निरस्त कर दिये गये थे. यह अति गरीबी रेखा में आते हैं. क्या माननीय मंत्रीजी मेरी उपस्थिति में इनके आवेदनों की जांच करायेंगे.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 11 नंबर पर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. जरा जल्दी करवा दें.

अध्यक्ष महोदय—इसलिये तो उनको मैंने नाम नहीं पढ़ने दिये, वे पूरे नाम पढ़ रहे थे.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)—रामनिवास जी जब दूसरों के प्रश्न रहें तब भी इस बात का ध्यान रखना.(व्यवधान)

पं. रमेश दुबे—रावत जी यह गरीब लोगों का प्रश्न है. (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार—आपसे पहले तो 10 नं. पर मेरा प्रश्न है..(व्यवधान)

श्री उमाशंकर गुप्ता—ऐसे ही सभी सदस्यों के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं (व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत—आप सोच रहे हैं कि कहीं 11 नंबर का प्रश्न आ नहीं जाये.(व्यवधान)

श्री उमाशंकर गुप्ता—नहीं, नहीं हम यह कह रहे हैं कि, आज का नहीं कह रहे हैं आगे का भी कि जब दूसरे सदस्यों के प्रश्न हों उस समय यह ध्यान रखना.

श्री मुकेश नायक—(XXX)

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा)--यह आपत्तिजनक है.

अध्यक्ष महोदय—इसे निकाल दीजिये, बिना प्रमाण के कह रहे हैं.

श्री लाल सिंह आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत आरोप है.

श्री आरिफ अकील—जो सच कहें वह आपत्तिजनक है. सच बात कहें तो आपत्तिजनक है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—बिना आधार के आरोप नहीं लगाना चाहिये.(व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग—अध्यक्ष महोदय, मेरा मुकेश नायक जी और आरिफ अकील जी से यह पूछना है कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—बिना आधार के यह आरोप नहीं लगाना चाहिये. (व्यवधान)

श्री विश्वास सारंग—जबरदस्ती यहां पर नेतागिरी करना आपने कंपलेंट की क्या इस तरह की..(व्यवधान)

(XXX) आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया.

श्री उमाशंकर गुप्ता—सवाल यह है कि जब अपने प्रश्न आते हैं तो चिन्ता होती है सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों के बारे में सभी को चिन्ता करना चाहिये. हमारे प्रश्न की तो हमें चिन्ता है लेकिन हम बीच में अकारण..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—उन्हें अपना प्रश्न पूछने दें..(व्यवधान)

श्री उमाशंकर गुप्ता—हमारा जब प्रश्न है तब हम इतनी चिंता कर रहे हैं लेकिन जब बाकी सदस्यों के प्रश्न रहते हैं उस समय हम सबको यह ध्यान रखना चाहिये. (व्यवधान)

श्री लाल सिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, इसे विलोपित करा दीजिये. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—विलोपित कर दिया है..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - कृपया उन्हें प्रश्न पूछने दें.

एक माननीय सदस्य - अध्यक्ष महोदय, उसे विलोपित तो करा दें.

वन मंत्री(डॉ.गौरीशंकर शेजवार) - अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा तरीका है ये आरोप लगाना कि मेरा इतने नंबर पर प्रश्न है यह न आ जाए इसलिये आप ऐसा कह रहे हैं. कभी सदन में किसी सदस्य ने ऐसी बात नहीं कही.

श्री रामनिवास रावत – आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लो मैंने क्या कहा है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – आप किसी पर कैसे शंका कर सकते हैं. कौन कैसे अनुमान लगा सकता है कि प्रश्न को रोकने के लिये ऐसा कर रहे हैं. इनको अपना आरोप वापस लेना चाहिये. मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप असत्य कथन कर रहे हैं या आप रोजा रखे हैं.(श्री आरिफ अकील,सदस्य, की ओर इंगित करते हुए.)

अध्यक्ष महोदय – आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लें सीधा.

(..व्यवधान..)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – खड़े होकर आरोप लगाने लगे कि मेरा प्रश्न आ रहा है उसे रोकने के लिये ऐसा कर रहे हैं.

श्री आरिफ अकील – रावत जी के साथ मैं कहां से आ गया.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – आप नाराज मत होईये. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बात होना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय – कृपा करके उनका प्रश्न आने दें.

श्री आरिफ अकील – टारगेट उधर ही रखो मुझे मत बनाओ.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – आप बरसों से इस सदन में हैं कभी किसी सदस्य ने किसी के प्रश्न को रोकने का काम किया है. यह कहीं कोई रिकार्ड नहीं है. इस तरह के आरोप लगा रहे हैं यह कौन

सा तरीका है. अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आनी चाहिये कि आक्षेप न लगें नहीं तो हर आदमी खड़े होकर कहेगा कि मेरा सोलह नंबर पर प्रश्न है इसको रोका जा रहा है यह नहीं होना चाहिये.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री(श्री गोपाल भार्गव) – और यह कह रहे थे कि दिवंगत को श्रद्धांजलि नहीं देना चाहिये.

श्री रामनिवास रावत – किसको कहा है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा - अध्यक्ष महोदय, मुकेश जी ने जो कहा उसको विलोपित तो करा दें.

अध्यक्ष महोदय – वह विलोपित करा दिया.

श्री आरिफ अकील – (बैठे बैठे) आप तो टाईम पास करो.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – यह कोई अच्छी बात है आप बैठे-बैठे चिल्ला रहे हो कि टाईम पास करो कौन कर रहा है टाईम पास आप कर रहे कि मैं कर रहा हूं आप खुद टाईम पास करो आपके आपस के विवाद हैं. कांग्रेस के आपस के विवाद हैं इसलिये ये परिस्थितियां हैं.

अध्यक्ष महोदय – कृपा करके बैठ जाएं.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया - आरिफ भाई आप ज्यादा बोलिये मत रोजा है पानी की प्यास लग जाएगी.

श्री आरिफ अकील – मेहरबानी करके बार-बार रोजे का मत बोलिये.फिर मैं कहूंगा कि गमछा लगाकर क्यों आते हो तिलक लगाकर क्यों आते हो.

अध्यक्ष महोदय – कृपया सीधे बात न करें.

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) - अध्यक्ष महोदय, अकील साहब ने जो कहा सदस्यों से सीधे बात न करें.

श्री भूपेन्द्र सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यहां पर कुछ नाम रखे हैं. हमारे विभाग ने आपके यहां 80 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है. जो अर्थदण्ड उनके

ऊपर लगाया है वह राशि 46500 रुपये है और यह राशि हमने जमा करके जो वहां आवेदक थे जिनको दिलाने का काम किया है वह राशि 27900 रुपये है. माननीय सदस्य की चिंता बाजिब है इसलिये हम इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं. हमारा विभाग गरीबी रेखा के बारे में जो सेवा हम दे रहे हैं दूसरा जो खसरा की नकल और बी-1 वगैरह जो राजस्व विभाग से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है हमारा विभाग इस बारे में विचार कर रहा है कि हम यह व्यवस्था करें कि जो हमारे लोक सेवा गारंटी के केन्द्र हैं उस केन्द्र पर ही व्यक्ति को उसके खसरे बी-1 की नकल मिल जाये, उसको तहसील कार्यालय भी न जाना पड़े ऑन-लाईन हमारे पास में उसका रिकार्ड हो, वह व्यवस्था हम कर रहे हैं आप हमारे केन्द्र पर जायेंगे, केन्द्र पर आवेदन करेंगे आवेदन करते ही तत्काल आपको हम खसरा बी-1 की नकल देने का काम करेंगे इसलिये हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि हमारे जो लोक सेवा गारंटी के जो केन्द्र हैं उनकी संख्या बढ़ाकर हम पांच-छः हजार करने वाले हैं जिसमें हर गांव, कस्बे के अंदर लोगों को सुविधा मिल जाये इसलिये हम उनकी चिन्ता कर रहे हैं. आखिरी जो प्रश्न हैं कुछ नाम आपने बताये हैं माननीय सदस्य आप जिनसे कहेंगे हम उनसे जांच करा देंगे.

पंडित रमेश दुबे—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी उपस्थिति में जांच करा देंगे क्या.

श्री भूपेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक जांच आपकी उपस्थिति में होगी जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी.

अध्यक्ष महोदय—आप उनको सूची उपलब्ध करा दें.

पंडित रमेश दुबे—माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां करा दूंगा.

प्रश्न संख्या 8 श्री संजय शर्मा (अनुपस्थित)

प्रश्न क्रमांक-9

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरे सड़क मार्गों की जानकारी

9. (*क्र. 4244) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वीकृत मुख्यमंत्री सड़क योजना के मार्ग ऐसे हैं, जिनका निर्माण कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है? (ख) अपूर्ण एवं स्वीकृत मार्गों के लिये किन-किन निर्माण एजेंसियों को नियुक्त किया गया था? (ग) जो स्वीकृत मार्ग प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण हैं इन एजेंसियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) अपूर्ण मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा एवं शासन द्वारा इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है.

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ग) समयावधि में सड़कों को पूर्ण न करने पर निर्माण एजेंसी (ठेकेदार) के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी. (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार. राज्य, संभागीय एवं जिला स्तरीय समीक्षा की गई. ठेकेदारों को अनुबंधानुसार नोटिस दिये गये एवं 01 निविदाकार की निविदा निरस्त की गई.

इंजीनियर प्रदीप लारिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री जी की यह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रथम फेस में 2 एवं द्वितीय फेस में 23 सड़कें स्वीकृत हुई थीं. मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 6 सड़कें पूर्ण होना बताया गया है, जबकि मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं सिर्फ 2 सड़कें पूर्ण हुई हैं, जो 4 सड़कें पूर्ण बतायी गई हैं, वह अपूर्ण हैं उसमें कहीं पर पुलिया नहीं बनी है, कहीं रोड़ का और काम शेष बचा है और जो 21 सड़कें बाकी बची हैं 21 सड़कों में भी इन्होंने यह कहा है कि 2012 तक इसको पूर्ण कर देंगे. यह सड़कें हैं भापेल से फुटेरा जिसमें 30 प्रतिशत काम हुआ है, खामखेड़ा से सेनरालहरिया 40 प्रतिशत काम हुआ है, सड़कें ने नाम आना महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां पर रहने वाले लोगों को बड़ी पीड़ा है. एन.एच 25 से मकरोनिया खुर्द 50 प्रतिशत, मोठी से कानोनी, 5 प्रतिशत, डाबरी से धुआ 33 प्रतिशत, लोहारी से डाबरी, 15 प्रतिशत, बरखेड़ा खुमान से कुलुआ, 30 प्रतिशत, करई से जरारा 30 प्रतिशत और जो लगभग 103 पुलिया इन 25 रोड़ों में प्रस्तावित थीं उसमें से मात्र 34 पुलियाओं का निर्माण हुआ है. मेरा निवेदन इतना है कि इतना काम शेष रहने के बावजूद 2010-11 से यह

सड़कें स्वीकृत हैं, दिसम्बर, 2014 तक कैसे पूर्ण होंगी और जो पुलिया का निर्माण सड़कों के निर्माण के साथ नहीं किया जा रहा है उसको छोड़ दिया जाता है इसमें कोई योजना बनायेंगे कि रोड़ के निर्माण के साथ पुलियाओं का भी निर्माण हो जाये.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे राज्य की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो गांव नहीं आ पाये छोटे गांव हैं, मजरे-टोले हैं, खास तौर से राजस्व ग्राम इनकी कनेक्टिविटी बारिश में भी बनी रहे, इसके लिये हमने मय पुल-पुलियों के और ग्रेवल रोड़ बनाने का काम हाथ में लिया है. शुरू में यह योजना प्रथम चरण में महात्मा-गांधी रोजगार गारंटी योजना के कनवर्जेन्स के अभिसर

ण के साथ शुरू की गई थी कुछ जिलों में तो श्रमिक मिले, कुछ जिलों में श्रमिक नहीं मिले, जहां पर श्रमिक मिले वहां पर प्रथम चरण का काम पूर्ण हो गया. पुल-पुलियाएं हमारी दूसरी मद से बनना थी. स्टेट फंड भी था अध्यक्ष महोदय और इस कारण से कुछ जिलों में यह सफलता जो है शत प्रतिशत रही लेकिन कुछ जिलों में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये. सागर जिले में प्रथम चरण के लिये जिसमें मनरेगा के अभिसरण के साथ यह सड़कें बननी थीं, वहां पर श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाये और इस कारण से प्रथम चरण की यह सड़कें जो हैं, यह अभी भी अपूर्ण हैं जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं यह बात सत्य है कि इसमें काफी विलंब हो चुका है. द्वितीय चरण की सड़कें सीधे ठेके से हुईं, इसमें जो सफलता है माननीय विधायक जी ने परिशिष्ट देखा होगा कि परिशिष्ट के अनुसार द्वितीय चरण की सड़कों की सफलता तुलनात्मक रूप से काफी अच्छी है और वह पूर्ण भी हो चुकी है. प्रथम चरण की सड़कें पूर्ण करने के लिये मैं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि उनके क्षेत्र में या वहां पर श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम राज्य मद से राशि उपलब्ध करवा कर अध्यक्ष महोदय और वह प्रथम चरण की सड़कें भी हम ठेके से ही करवायेंगे, ताकि वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जायें.

डॉ. गौरीशंकर शैजवार--रायसेन की भी करवा दें.

श्री गोपाल भार्गव--डॉ. साहब रायसेन की भी करने का कह रहे हैं तो रायसेन की भी करवा देंगे आपके लिये चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं है.

इंजीनियर प्रदीप लारिया--अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है एक सेकेंड में हो जायेगा.

अध्यक्ष महोदय--प्रश्नकाल हो गया अब. अब आप उनको लिखकर दे दीजियेगा.

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय : 11.31 बजे. **शून्यकाल की सूचनायें**

निम्न माननीय सदस्यो की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी

1. डॉ. रामकिशोर दोगने
2. श्री ओमकार सिंह मरकाम
3. श्रीमती शीला त्यागी
4. श्री कमलेश्वर पटेल
5. श्री सत्यप्रकाश सखवार
6. श्री नारायण सिंह पँवार
7. श्री प्रताप सिंह
8. श्री लाखन सिंह यादव
9. श्री उमंग सिंघार
10. श्री महेन्द्र सिंह

श्री आरिफ अकील--माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह गुफा मंदिर के पास लालघाटी में दीवाल गिर गई है, जिससे एक परिवार के दो लोगों की वहीं पर डैथ हो गई है और 8 लोग जख्मी हैं और मात्र उनको 1-1 लाख रूपये मदद दी जा रही है, तो मेरा निवेदन है कि 10-10 लाख मदद

हो और इस पर मेरा ध्यानाकर्षण है तो किसी तरह से मेहरबानी करके उस पर चर्चा करा लें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी.

अध्यक्ष महोदय--आपने लिखकर दिया है ?

श्री आरिफ अकील--जी हां दिया है.

अध्यक्ष महोदय--ठीक है.

श्री रामनिवास रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गौर साहब को तो धन्यवाद दूंगा लेकिन ना आपसे भी निवेदन करूंगा कि मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था , मैंने नियम 52 के तहत् आधे घंटे की चर्चा मांगी है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा--यह क्या है ?

श्री रामनिवास रावत--चर्चा मांगी है मैंने.

अध्यक्ष महोदय--उन्होंने आधे घंटे की चर्चा मांगी है उन्हें कहने दें.

श्री रामनिवास रावत---पत्र दे चुका हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना करके व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जो 126 प्रकरण कायम हो चुके हैं और डेढ़ हजार से ज्यादा नियुक्तियां निरस्त हो चुकी हैं उस पर आधे घंटे की चर्चा....

अध्यक्ष महोदय--उस पर विचार कर लेते हैं.

श्री रामनिवास रावत--पूरे प्रदेश के युवाओं से संबंधित है, पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य का मामला है, आधे घंटे की चर्चा मांग रहा हूं और गौर साहब को धन्यवाद दूंगा कि आपने लिखकर इसका पूरा जवाब भेजा अस्वीकृत नहीं किया.

अध्यक्ष महोदय--आप लिखकर दे दीजिये.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, आप भी सहयोग करें और चर्चा स्वीकार करने का कह दें.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अभी पहले मुझे तो देख लेने दें. अभी तो लिखकर आई नहीं.

श्री रामनिवास रावत--नहीं, आप स्वीकार कर लें कि सरकार तैयार है आधे घंटे की चर्चा के लिये.

अध्यक्ष महोदय--अभी लिखित में आया नहीं है, मौखिक आया है.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा--आप दुआ करें कि गौर जी अध्यक्ष की कुर्सी पर आ जायें.

श्री रामनिवास रावत--क्या आप उनके दुश्मन हैं ?

श्री बाबूलाल गौर--मैं तो यहीं अच्छा हूं.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें.

अध्यक्ष महोदय--उस पर विचार कर लेते हैं.

श्री रामनिवास रावत--इसमें कई बातें हैं. परिवहन आरक्षक पर तो कोई स्पष्ट मामला इसमें नहीं आया है.

अध्यक्ष महोदय--ठीक है, आपने लिखकर दे दिया है उस पर विचार कर लेते हैं.

श्री रामनिवास रावत--- कई बातें हैं और ऐसे लोग नहीं आये जो सिलेक्ट होने के बाद दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं रेगुलर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है. पूरी पुलिस को पता है, एस.टी.एफ. को पता है, सरकार को पता है और इसीलिये मैं चर्चा मांग रहा हूं.

अध्यक्ष महोदय--आपने लिखकर दे दिया है, उस पर विचार कर लेते हैं.

श्री रामनिवास रावत--और दूसरा मैंने जो विशेषाधिकार भंग की सूचना दी थी व्यापम के बारे में...

अध्यक्ष महोदय--उसकी व्यवस्था मैं कल दूंगा.

श्री रामनिवास रावत--अध्यक्ष महोदय, चर्चा करा लें उसका निराकरण तो होना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय--उसकी व्यवस्था मैं कल दूंगा. जैसा मैंने अनुरोध किया था कि चूंकि उसमें यहां के सचिवालय का भी उल्लेख है, इसलिये आपको उस पर कल व्यवस्था देता हूं.

श्री रामनिवास रावत--यह पूरी सभा की अवमानना है. सचिवालय भी सभा के अंतर्गत है.

अध्यक्ष महोदय--उसका परीक्षण करा रहे हैं और उस पर कल व्यवस्था देता हूं आपको 22 तारीख को.

श्री रामनिवास रावत--हम सब आपके अधीन हैं और यह पूरी अवमानना है, विशेषाधिकार भंग है.

अध्यक्ष महोदय--उसका परीक्षण करा रहे हैं आपको उसकी व्यवस्था कल दे देंगे. पत्रों का पटल पर रखा जाना....

श्री उमंग सिंघार--अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय--शून्यकाल में बोलना था अब आगे बढ़ गये बैठें.

समय : 11.34 बजे.

पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री उमाशंकर गुप्ता (उच्च शिक्षा मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक-22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 56 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 तक) पटल पर रखता हूँ.

....व्यवधान...

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि पहिवहन आरक्षक में भर्ती के मामले में हमने लिखकर के दिया है.

....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- शून्यकाल में आपको बोलना था अब आगे बढ़ गये.

....व्यवधान...

श्री उमंग सिंघार -- -- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस विधायक दल की तरफ से डीजी को पत्र दिया था उसमें जानकारी मिली है कि परिवहन आरक्षकों की जो भर्ती व्यापम के माध्यम से हुई थी. उसके मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यह अभी तक ..

....व्यवधान...

श्री उमंग सिंघार -- -- आपको शून्यकाल में बोलना था, अब आगे बात निकल गई.

श्री रामनिवास रावत-- आपको भी मालूम है कि बात आगे निकल गई है.

अध्यक्ष महोदय-- आप कल बोल लीजिये. कल आप बोल लीजिये और लिखकर के भी दे दीजिये. मैंने बहुत समय दिया परंतु आप खडे नहीं हुये, जब मैंने अगला विषय ले लिया तब आप खड़े हुये.

....व्यवधान...

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, जब आप बैठेंगे उसके बाद ही तो मैं बोलूंगा.

अध्यक्ष महोदय-- शून्यकाल में बीच में ही बोलना पड़ता है.

श्री उमंग सिंघार -- ठीक है अध्यक्ष महोदय आप नई परम्परा चालू करना चाहते हैं तो हम बीच में ही बोलना शुरू करेंगे.

....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- वो बैठते नहीं तो आप बोलते नहीं क्या. अब दूसरे बोलने लगे तो आप भी खडे हो गया. मेरा अनुरोध है कि आप कल बोल लीजियेगा. मैंने ध्यानाकर्षण के लिये राजेन्द्र पाण्डेय जी को पुकारा है, वे अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढेंगे.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय-- बहुत अत्यावश्यक ध्यानाकर्षण है . सदस्य से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सहयोग करें.

नेता प्रतिपक्ष (श्री सत्यदेव कटारे) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शून्यकाल शुरू हुआ था तो आपने निर्देश दिया था कि मुझे शून्यकाल की सूचना पढ़ लेने दें तब आप बोलना.

अध्यक्ष महोदय-- आप खड़े नहीं हुये. मैंने आरिफ अकील साहब को समय दिया उसके बाद राम निवास रावत जी को समय दिया. उसके बाद कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैंने अगला विषय ध्यानाकर्षण ले लिया.

श्री सत्यदेव कटारे-- उमंग जी भी खड़े हुये थे लेकिन आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया.

अध्यक्ष महोदय-- मैंने कई बार देखा ईधर (सत्तापक्ष) की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं (विपक्ष) उधर ही उधर देखा, उसके बाद कोई खड़ा नहीं हुआ.

....व्यवधान...

श्री सत्यदेव कटारे - अध्यक्ष महोदय 2 तारीख को हमने जब अपना वक्तव्य दिया था. तब हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि परिवहन आरक्षकों की मार्कशीट आप सदन के पटल पर रखवा दें अभी तक नहीं रखी गई है, इतने दिनों में तो विधानसभा प्रश्न का उत्तर आ जाता है . अभी तक नहीं रखा है यह कोई छोटी बात नहीं है. अगर सदन में उत्तर नहीं दे पायेंगे मुख्यमंत्री तो कैसे काम चलेगा.

अध्यक्ष महोदय-- यह कोई बात नहीं है, जबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं . श्री राजेन्द्र पाण्डेय जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें.

श्री उमंग सिंघार -- अध्यक्ष महोदय, 30 सदस्यों ने लिखकर के दिया है. परिवहन आरक्षक के अंदर जो लोग भर्ती हुये हैं. उनके निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण को बताया जाये कि यह लोग कहां के लोग हैं.10 वी की मार्कशीट, ड्रायविंग लाईसेंस दिखाये जायें.

....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय--श्री राजेन्द्र पाण्डेय जी अपनी सूचना पढ़ें. और श्री उमंग जी से मेरा अनुरोध है कि वे कृपा करके बैठ जाये , उनको ध्यानाकर्षण पढ़ने दे उनका ध्यानाकर्षण भी महत्वपूर्ण है.

श्री सुंदरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, विश्व हिन्दू परिषद के नेता तोगड़िया ने अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा करने वाला स्टेटमेंट दिया है.

श्री कमलेश्वर पटेल -- अध्यक्ष जी बैच में खडे होते हैं तो अनुशासनहीनता कहते हैं. आपके बैठने के बाद आप अगला विषय ले लेते हैं, हम अपनी समस्या कहां पर रखें.

....व्यवधान...

श्री उमंग सिंघार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है.

....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- शुगर मिल का मजदूरों का मामला है. आपसे अनुरोध है कि उसको चलने दें.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय -- अध्यक्ष महोदय, इतना व्यवधान हो रहा है, मैं अपनी सूचना कैसे पढ़ूं.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, विधायकों ने जो पत्र दिया है उसकी जानकारी विधायकों को नहीं मिल रही है.

अध्यक्ष महोदय-- आपसे मेरा अनुरोध है कि पाण्डेय जी का विषय भी महत्वपूर्ण है. मिले बंद हो गई हैं मजदूर बेरोजगार हो गये हैं उनके बारे में वे प्रश्न करना चाहते हैं उनको बोलने दें.

श्री रामनिवास रावत-- हमें उस पर आपत्ति नहीं है. वो भी आना चाहिये, वो भी महत्वपूर्ण है लेकिन हमारा मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है.

अध्यक्ष महोदय-- आपको जो कुछ कहना है लिखकर के दें, आपको सूचना भी मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी. (श्री उमंग सिंगार से) आप लेट हो गये, आपने मुख्य सचेतक जी का लिहाज किया इसलिये आप बोले नहीं यह अवसर आपको दिया था. अब कृपा करके कार्यवाही आगे बढ़ गई है. आप बैठ जायें. और पाण्डेय जी को अपनी बात कहने दें.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपनी बात कहते कहते गर्भगृह में आ गये और अपनी बात कहने लगे)

अध्यक्ष महोदय-- आप अपने स्थान पर जायें.

मंत्री, संसदीय कार्य(डॉ. नरोत्तम मिश्रा) -- माननीय अध्यक्ष महोदय,प्रदेश के अंदर सूखे पर, पानी पर, बाढ़ पर,बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती.किसी विषय पर भी चर्चा नहीं कराना चाहती है. यह देखिये किस तरह से सदन का समय जाया कर रहे हैं.

....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके अपने अपने स्थान पर जायें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है. विकास से कतरा रही है ,लगातर इस सदन का मीडिया को, इस फ्लोर का उपयोग यह इस तरह से कर रही है. विकास पर चर्चा करने से कतरा रही है. यह घोर चिंता की बात है.

अध्यक्ष महोदय-- आप लोग अपने अपने स्थान पर जायें और सदन को चलने दें.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा -- यह किस तरह से सदन को चलाना चाहते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री उमंग सिंगार के नेतृत्व में गर्भगृह नारे लगाने लगे)

....व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय-- कृपया अपने अपने स्थान पर जायें. यह गर्भ गृह में जो कुछ भी हो रहा है यह रिकार्ड में नहीं आयेगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा -- पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है. यह राजनैतिक स्टंट जनता समझ चुकी है.

अध्यक्ष महोदय-- आप विधानसभा की कार्यवाही चलने देंगे कि नहीं देंगे. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय जी आप बैठ जायें, आपका ध्यानाकषर्ण बाद में लेंगे.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण गर्भ गृह में नारे बाजी करने लगे)

अध्यक्ष महोदय -- सदन की कार्यवाही 10 मिनिट के लिये स्थगित.

(11.41 बजे से 10 मिनिट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित)

समय 11.53 बजे अध्यक्ष महोदय (डॉ सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

नेता प्रतिपक्ष(श्री सत्यदेव कटारे)-- अध्यक्ष महोदय, हमारी एक प्रार्थना थी. आप सुन लें. अध्यक्ष महोदय, हमने जब 2 तारीख को वक्तव्य दिया तो मुख्यमंत्रीजी से वह कागज मांगे थे जो सरकार के रिकार्ड में हैं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- अध्यक्षजी, माननीय मुख्यमंत्री का जवाब सुना क्यों नहीं?

श्री सत्यदेव कटारे-- दो घंटे में फोटो कॉपी होकर आ सकते हैं. (व्यवधान)

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- मुख्यमंत्रीजी का जवाब क्यों नहीं सुना था. मुख्यमंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार थे. (व्यवधान) विधानसभा के पवित्र सदन में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- कृपया उनको अपना ध्यानाकर्षण पढ़ने दें.(व्यवधान)

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- इन्होंने मुख्यमंत्रीजी का जवाब क्यों नहीं सुना. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आपसे अनुरोध है,...

श्री सत्यदेव कटारे-- अगर वह हमें नहीं दे रहे हैं तो फिर हम यहां धरने पर बैठ रहे हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय-- आप जो बात करना चाहते हैं कक्ष में कर लें. यहां कार्यवाही चलने दें.

श्री सत्यदेव कटारे-- यह कक्ष की बात नहीं है. भाषण यहां हुआ था.

डॉ नरोत्तम मिश्रा-- यहां हुआ था तो भाषण सुना क्यों नहीं. अध्यक्ष महोदय, यहां पर जवाब नहीं सुना गया. मुख्यमंत्रीजी एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे. (व्यवधान)

श्री सत्यदेव कटारे-- आप ध्यानाकर्षण होने देंगे या नहीं होने देंगे.(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पाण्डेय-- मजदूरों संबंधी ध्यानाकर्षण है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--- मेरा आपसे अनुरोध है,उनका विषय आने दें..(व्यवधान)..

श्री शंकरलाल तिवारी—अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा चलने नहीं देना चाहते .....(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य--- यह गलत आरोप लगा रहे हैं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय—उनका बहुत महत्वपूर्ण विषय है,और उन्होंने बहुत प्रयत्नों से इसको करवाया है, ...(व्यवधान)....आप सब लोग बैठ जाएं...(व्यवधान)... उनका विषय आने दें,

आप उनका विषय आने दें, मजदूरों का प्रश्न है, किसानों का प्रश्न है, आप आ जाने दें...(व्यवधान)... वे सब बैठ गए हैं, आप लोग भी बैठ जाएं...(व्यवधान)...

श्री सत्यदेव कटारे—अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया है, अगर निवेदन मेरा नहीं माना जाएगा तो मैं यहां पर फ्लोर पर धरने पर बैठ जाऊंगा.

अध्यक्ष महोदय—यह कोई बात नहीं है, आप धमकी देकर कुछ नहीं करा सकते.. सदन धमकियों से नहीं चलेगा माननीय नेताजी, यह बिलकुल उचित नहीं है आपकी बात... (व्यवधान)....आपको जो करना है, करिए, आप कृपा करके धमकी नहीं दे सकते...(व्यवधान) आपको जो करना है करें, आप स्वतंत्र हैं, सदन के आप माननीय सदस्य हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं... (व्यवधान).... परंतु आप इस तरह से नहीं कह सकते कि यह नहीं किया तो हम यह करेंगे.. (व्यवधान)... यह सर्वथा अनुचित है. कृपा करके पांडेजी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें.. (व्यवधान)....आप पढ़ लीजिए, मंत्रीजी उत्तर दे देंगे, उन्हें हल्ला करने दीजिए...(व्यवधान)...

(नेता प्रतिपक्ष,श्री सत्यदेव कटारेजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण नारे लगाते हुए गर्भ गृह में धरने पर बैठे)

अध्यक्ष महोदय—गर्भ गृह में जो भी चर्चा होगी, वह लिखी नहीं जाएगी... (व्यवधान).... आप लोग कृपा करके बैठ जाएं...(व्यवधान)....गर्भ गृह की कोई बात नहीं आएगी. पांडेजी, आप पढ़ दीजिए, मंत्रीजी उत्तर दे देंगे...(व्यवधान)... हल्ले गुल्ले में ही पढ़ना पढ़ेगा, कम से कम आपका उत्तर आ जाएगा,...(व्यवधान)....आप पढ़ लीजिए....

श्री राम निवास रावत--- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें...

अध्यक्ष महोदय—पहले वापस जाएं, नेता प्रतिपक्षजी नीचे बैठे हैं,... (व्यवधान)...पांडेजी,अपना प्रस्ताव पढ़े.....(व्यवधान)...पहले माननीय नेता प्रतिपक्षजी और

सदस्यगण सीट पर वापस जाएं,तब बात की जाएगी....(व्यवधान)...कोई निवेदन नहीं सुना जाएगा....(व्यवधान)...

श्री राम निवास रावत--- अध्यक्ष महोदय, विषय महत्वपूर्ण है...(व्यवधान) और मजदूरों से जुड़ा हुआ है...(व्यवधान)... हम भी महत्वपूर्ण मामला उठा रहे थे और आपसे व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे थे...(व्यवधान)....माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषय उठाएं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हम भी अपेक्षा करते कि हमारे प्रकरणों के बारे में जो भी व्यवस्था हो वह दें.

अध्यक्ष महोदय—ठीक है, आपकी बात आ गई है...(व्यवधान)....वरिष्ट सदस्यगण कृपा करके बैठ जाएं..(व्यवधान)...अब राजेंद्र पांडेजी का ध्यानाकर्षण हो जाने दें.

12.00 बजे **ध्यान आकर्षण सूचना**

रतलाम, उज्जैन एवं मन्दसौर जिले में बंद पड़ी शुगर मिलों को पुनः चालू किया जाना

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जावरा), श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्री बहादुर सिंह चौहान - माननीय अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

जावरा जिला रतलाम, महिदपुर जिला उज्जैन एवं दलौदा जिला मंदसौर की शुगर मिले विगत कई वर्षो से बंद होकर वीरान पड़ी है साथ ही उक्त शुगर मिलों से संलग्न सैकड़ों बीघा खुली भूमि भी निर्जन पड़ी है। शासन के निर्णयानुसार इन्हें सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जाना था, किन्तु समितियां इसमें असफल रही। मिलो के लगातार बंद रहने के कारण कीमती मशीनों के पार्ट्स एवं अन्य अनेक सामग्रियों की चोरियां होकर सैकड़ों बीघा खुली भूमियों पर अतिक्रमण हो रहा है। इससे शासन को काफी हानि हो रही है। समितियां मृत प्राय: होकर अब मलों का जिम्मेदार कोई नहीं होने से जनता में आक्रोश है। अत: इन्हें पुन: शासनाधीन लेकर चालू किया जाय।

उद्योग एवं रोजगार मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) - माननीय अध्यक्ष महोदय,

जावरा, जिला रतलाम एवं महिदपुर, जिला उज्जैन स्थित शुगर मिलों को शासन अधिसूचना 21.11.2002 से क्रमशः शहीद नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत सहकारी कारखाना मर्यादित जावरा, जिला रतलाम एवं दिशा सहकारी शुगर कारखाना, महिदपुर, जिला उज्जैन को हस्तांतरित किया गया था। यह सही है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा इन मिलों का संचालन नहीं किया गया जिसके कारण मिल संचालन की गतिविधि प्रारंभ नहीं हो सकी। शहीद नरेन्द्र सिंह चन्द्रावत सहकारी कारखाना मर्यादित जावरा, जिला रतलाम अक्रियाशील रहने के कारण संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थाएं उज्जैन के आदेश दिनांक 28.01.2005 से परिसमापक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सहकारी संस्था परिसमापन में है। दिशा सहकारी कारखाना मर्यादित महिदपुर जिला उज्जैन को दिनांक 25.09.2004 से परिसमापन में लिया गया है।

द जीवाजी राव शुगर कंपनी लिमि. की दलौदा जिला मदसौर स्थित शुगर मिल का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतगत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर द्वारा दिनांक 31.03.2000 को परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापक द्वारा दिनांक 15.07.2002 को कंपनी की परिसम्पत्यिों का आधिपत्य ग्रहण किया गया है। वर्तमान में कंपनी पिटीशन क्रमांक 25/2001 माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर में प्रचलित है। सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने ऋण की वसूली हेतु फैक्ट्री की भूमियों को डी.आर.टी जबलपुर के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही की जाकर सेलडीड

आंजना कंस्ट्रक्शन के पक्ष में जारी कियें गये। सेलडीड के आधार पर नामांतरण हेतु कार्यवाही तहसीलदार कार्यालय दलौदा में आंजना कंस्ट्रक्शन के द्वारा की गई। तहसीलदार के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही निरस्त की गई जिसके विरूद्व अवमानना की कार्यवाही डी.आर.टी जबलपुर में की गई। अवमानना याचिका के विरूद्व डी.आर.ए.टी इलाहाबाद में अपील की गई। अपील में यह निर्णित किया गया कि कम्पनी पिटीशन के माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर में प्रचलित होने के परिप्रेक्ष्य में पिटीशन के निराकरण तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावें।

प्रकरण में शासन की ओर से एक सिविलवाद क्रमांक 01-ए/2013, दिनांक 18.12.2012 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, मन्दसौर में दायर किया गया है1 प्रकरण में अन्तिम दिनांक 19.06.2014 के बाद आगामी पेशी नियत नहीं की गई है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर दायर सिविलवाद में प्रतिवादीगणों के विरूद्व विचाराधीन भूमियां जो कि शासन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, इसमें उक्त भूमियों को विक्रय/नीलाम व अन्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए को आधार मानकर सिविलवाद दायर किया गया है।

तीनों मिलों का प्रकरण संबंधित विधानों के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही अन्तर्गत होने से इन मिलों की परिसम्पत्तियां परिसमापकों

के आधिपत्य में है तथा इनके संरक्षण का दायित्व परिसमापकों का है। राज्य शासन द्वारा स्वयं उद्योंगों का संचालन नहीं किया जाता है। अतएव इन मिलों को राज्य शासन के अधीन लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) - अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी से आप कक्ष में चर्चा कर लें और इसका हल निकाल दें. मेरा निवेदन सिर्फ इतना-सा है कि इस विषय पर आप स्थगन ले चुके हैं, प्रश्नों के माध्यम से भी विषय आ गया है, अन्य-अन्य माध्यम से एक ही विषय पर लगातार कई बार चर्चा हो गई है. बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय आज हैं, मजदूरों से जुड़े विषय हैं, आज बजट में महिलाओं पर चर्चा है, अन्य विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा है और आपसे मेरी बहुत गुजारिश है कि जो इस प्रदेश में सूखे की स्थिति है, वर्षा की स्थिति है, अवर्षा की स्थिति है और अन्य विषय हैं उन पर चर्चा होने दें, इस तरह से अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बुलाकर जो भी समस्या का समाधान है आप कक्ष में कर लें और निवेदन में भी करना चाहता हूं, आप भी करें कि सभी अपनी जगह बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें.

श्री गोपाल भार्गव - और डेंगू भी है.

अध्यक्ष महोदय - (गर्भ गृह से माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) आपको जो कुछ भी कहना है अपने आसन से कहिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैंने ध्यानाकर्षण के बीच में ही अनुरोध किया था. परन्तु एक तो वे जहां बैठे हैं, यहां से दिखते नहीं हैं. अब मैं उनसे संवाद कैसे स्थापित करूं? यह ध्यानाकर्षण का विषय महत्वपूर्ण है और वरिष्ठ सदस्य श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा जी ने भी इस पर अनुरोध किया है. मेरा एक तो उनसे अनुरोध है कि वे अपने आसन पर बैठ जाएं, वे बहुत सीनियर हैं, उनके बैठने में किसी को एतराज नहीं होगा और माननीय पाण्डेय जी आप प्रश्न करें.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय- अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी आयी है वह निश्चित रूप से सही है और माननीय मंत्री महोदया द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह भी सही है किन्तु दुखद स्थिति यह है कि मिल बंद हुआ वर्ष 1990 के आसपास. वर्ष 2002 में फिर उसकी एक समिति बनी. समिति उसको चला नहीं पायी और वर्ष 2005 में वहां पर एक परिसमापक नियुक्त कर दिया गया. लेकिन शुगर मिल का परिक्षेत्र जो है वह काफी बड़ी होकर के लगभग 100 बीघा के क्षेत्र में तो शुगर मिल ही है और उससे जुड़ी हुई ग्रामीण क्षेत्र में खुली भूमियां सैकड़ों बीघा हैं. ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग गांव में भी सैकड़ों बीघा खुली भूमियां है. शहर में भी खुली भूमि है. मेरा निवेदन यह है कि या तो माननीय मंत्री महोदया उस भूमि को उद्योग विभाग के अधीन लेकर वहां पर कोई भी कृषि आधारित उद्योग धन्धा प्रारंभ करें, लघु कुटीर संबंधित कोई कार्य संबंधी योजना यदि वहां बनाई जा सकती है तो वह करें. परिसमापन जो है वह सहकारिता विभाग से जुड़ा है उसे समाप्त किया जाय. अध्यक्ष महोदय, हमारी वहां जिला स्तर पर चर्चा हुई है और उसमें सहकारी समिति द्वारा अंश पूंजी जो कृषकों से प्राप्त की गई थी, दुग्ध समितियों के माध्यम से जो अंश पूजी ली गई थी. क्या सहकारिता विभाग उसको पुनः लौटाने के लिए तैयार है. ऐसी दिशा में शासन अपने नियंत्रण में ले. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय— मुश्किल से शान्ति हुई है, आप सीधा प्रश्न कर दें.

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय- अध्यक्ष महोदय़, शासन अपने अधीन लेकर के उद्योग विभाग के अंतर्गत उन समस्त परिसंपत्तियों को लेकर के वहां पर लघु उद्योग, कृषि उद्योग धन्धे प्रारंभ करने के लिए कोई कार्ययोजना बनायेंगे क्या?

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया- अध्यक्ष महोदय, तीन अलग अलग शुगर मिल्स हैं . एक है जावरा में, एक महिदपुर में और एक दलैदा में. दो शुगर मिल अभी परिसमापन में चल रहे हैं वे हैं जावरा और महिदपुर. तीसरा दलौदा वाला आज BIFR में चल रहा है. मैं तीनों विधायकगण को

आश्वस्त करना चाहती हूं कि , जावरा जिसके अंदर आपके पास शायद 112 हैक्टेयर जमीन है और महिदपुर जहां 52 हैक्टेयर जमीन है, इनमें लेबर को पूरा पैसा दिया गया है. रहा सवाल कि परिसमापन के बाद हम सहकारिता विभाग से ये जमीन वापिस लेना चाहेंगे और जरूर जो 10-15 साल पहले Industry Land को देखा नहीं जाता था वह आज

एक बिलकुल दूसरा पक्ष है. जिसमें हम लोग एक एक हैक्टेयर जमीन पर पैनी नजर रख रहे हैं और जैसे ही ये परिसमापन की कार्यवाही खत्म हो जाएगी, हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि ये Industry Land हमारे पास वापिस आ जाए और हम कुछ न कुछ विभाग की तरफ से एक ऐसी पैरवी करें जहां आपके यहां उद्योग लग जाय. दलौदा वाली बाद जो है वह BIFR में पड़ी हुई है.

अध्यक्ष महोदय, आज मैं तीनों माननीय विधायकों को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं कि इतनी लैंड दालोदा में पड़ी हुई है कि आपने हमें सचेत किया, इसके लिए मैं आपकी ऋणी हूं. हम दो कोर्ट्स में लड़ रहे हैं. एक हाईकोर्ट में दूसरा डी.जे. कोर्ट में और जैसे ही यह कोर्ट के प्रकरण खत्म हो जाएंगे, हमारी पूरी कोशिश और पूरी नजर इसी प्रकरण में है और आपकी मदद के साथ समय समय पर आप भी हमें अवगत् कराएं और हम भी इस पर लगातार कार्यवाही करने के इच्छुक हैं. जहां तक महिदपुर का सवाल है, जहां अतिक्रमण हो रहा है, माननीय विधायक जी बहुत चिंतित हैं, इस पर कार्यवाही होनी थी 11 जूलाई को, हुई नहीं, इसीलिए मैं समझती हूं कि आपकी चिंता कहां है और यह अतिक्रमण हटाने का काम कलेक्टर से बात करके 7 दिन में कोशिश होगी, इस अतिक्रमण को ठीक करने में.

श्री राजेन्द्र पांडेय—अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछ लेने दें.

अध्यक्ष महोदय—नहीं, बिलकुल नहीं. अभी और भी सदस्य हैं, आप बैठ जाएं. आपका प्रश्न हो गया.

श्री सुंदरलाल तिवारी—xxx

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी, कृपा करके सहयोग करें. यशपाल जी अपना प्रश्न पूछें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि..

श्री सुंदरलाल तिवारी--xxx

अध्यक्ष महोदय—यशपाल जी आप रूकते क्यों हैं. तिवारी जी का रिकार्ड में नहीं आएगा, सिर्फ यशपाल जी का रिकार्ड में आएगा.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—अध्यक्ष जी, 366 बीघा जमीन की सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की रिकव्हरी थी, तत्कालीन कंपनी के ऊपर और उस जमीन की कीमत 5 करोड़ रूपए की थी.

श्री सुंदरलाल तिवारी—xxx

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी कुछ रिकार्ड में नहीं आ रहा है. कोई फायदा नहीं है.

(xxx)—आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री सुंदरलाल तिवारी—xxx

अध्यक्ष महोदय—यह बात ठीक नहीं है. यशपाल जी सीधे प्रश्न पूछें, भाषण नहीं देंगे.

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)—अध्यक्ष महोदय, यह तरीका गलत, यह घोर आपत्तिजनक है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—xxx

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी आपसे मेरा अनुरोध है कि मैं कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहता, पर यदि दूसरे सदस्यों के अधिकारों में आप व्यवधान डालेंगे तो यह सर्वथा अनुचित है. यह बात ठीक नहीं है, दूसरे माननीय सदस्यों का भी वही अधिकार है जो आपका है. आप जब अपना विषय लेते हैं तो कोई नहीं बोलता है, यह सर्वथा अनुचित है.

श्री सुंदरलाल तिवारी—xxx

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी इसके पहले मैं कोई कठोर बात कहूं. आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, यह सर्वथा अनुचित है, आप सांसद रह चुके हो, विधायक हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं. आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाएं. दूसरे सदस्यों के अधिकारों का हनन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है. आप कृपया बैठ जाईये.

श्री सुंदरलाल तिवारी—xxx

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, यह मजदूरों पर चर्चा नहीं करना चाहते, महिलाओं पर चर्चा होनी है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण पर चर्चा पूर्ण होनी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय—तिवारी जी आप बैठेंगे कि नहीं. आप मुझे यह बता दें, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, यह मजदूरों के दुश्मन हैं, उनकी चर्चा नहीं करना चाहते.

अध्यक्ष महोदय—कृपया बैठे. मैं अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, सदन चलाना मेरी जिम्मेदारी है. आप कृपा करके यह नहीं कर सकते और आप दूसरे सदस्यों

(xxx)—आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

के प्रश्नों को रोक नहीं सकते.

श्री सुंदरलाल तिवारी—xxx

अध्यक्ष महोदय—सब शांत हो जाएंगे. लेकिन आप बोलते ही रहते हैं. सिसोदिया जी प्रश्न पूछ रहे थे, सारा सदन शांत था. यदि वह नहीं बोलेंगे तो मंत्री जी भी नहीं बोलेंगे. यह मेरी जिम्मेदारी है, परंतु वह मान नहीं रहे हैं, ऐसे में मुझे कठोर कार्यवाही करनी होगी. आप दूसरे सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—अध्यक्ष महोदय, क्या यह मजदूर विरोधी आचरण नहीं है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित.

(12.15 बजे से 10 मिनट तक का अंतराल)

(xxx)—आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

12.26 बजे विधानसभा पुन: समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय(डॉ. सीतासरन शर्मा)पीठासीन हुए

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण गर्भगृह में आकर पुन: धरने पर बैठे)

अध्यक्ष महोदय—मेरा प्रतिपक्ष के नेता जी से,मुख्य सचेतक और माननीय सदस्यों से कि वे अपने स्थान पर बैठें और सदन की कार्यवाही विधिवत चलने दें.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब मजदूरों के बारे में चर्चा हो रही है.इतने महत्वपूर्ण प्रदेश में मुद्दे हैं, सभी भाग लें.(व्यवधान)इतने ज्वलंत मुद्दों से कांग्रेस भागती क्यों हैं,मैं आज तक समझ नहीं पाया(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—श्रीमती अर्चना चिटनीस अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें. (व्यवधान)

श्री यशपालसिंह सिसोदिया(मंदसौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी चर्चा पूरी नहीं हुई.

अध्यक्ष महोदय— आप प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं.(व्यवधान)

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि सिंगल टेन्डर पर डीआरटी के इशारे पर जो जमीन 5 अरब रुपये की थी,वह आंजना कंस्ट्रक्शन ने ली है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह आंजना कंस्ट्रक्शन का मुखिया कौन है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कांग्रेस के एक बड़े नेता की आंजना कंस्ट्रक्शन हैं और यह उन्होंने जमीन ली है. मैं चाहता हूँ,जीवाजी राव सिंधिया जी ने इस उद्योग की स्थापना की थी. उद्योग की जमीन, यदि उद्योग नहीं चलता है तो वापस शासन को लौटायी जाती है. मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हाईकोर्ट में, डीजे कोर्ट में, डीआरडी में और इलाहाबाद ट्रिब्यूनल में शासन अपना पक्ष मजबूती के साथ रख पायेगा या नहीं रख पायेगा,यह मेरा प्रश्न है और इस जमीन को कैसे बचाया जाएगा जो सिंगल टेंडर पर आक्शन हो गई. अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस जमीन को कैसे बचाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी तो कह रही हैं कि कोर्ट में लड़ रहे हैं उसका प्रयत्न कर रहे हैं

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग अपनी जमीन वापस उद्योग विभाग में मर्ज करेगा क्या?

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी ने अभी यह उत्तर दिया कि कोर्ट में उस मामले को लड़ रहे हैं और जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसका निराकरण करेंगे.

श्री यशपालसिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ रुपये में ओने पोने दाम में 366 बीधा जमीन आक्शन सिंगल टेंडर पर आक्शन हो गई है, इसकी माननीय मंत्री जी जांच करवा लें?

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोर्ट का निर्णय हुआ नहीं है, दोनों डीजे कोर्ट में भी और हाईकोर्ट में भी और एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में रुल किया है तो पहले हम इन सब कोर्ट्स से जो उनका निर्णय है वह देखें पर हम विधायक जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमीन,ऐसे जो कोड़ियों में बेची गई है जब समय आयेगा उसकी हम पूरी जांच करवायेंगे .

श्री बहादुर सिंह चौहान(महिदपुर)- माननीय अध्यक्ष जी, मैं सीधा ही प्रश्न कर रहा हूँ. माननीय मंत्री जी ने आपके माध्यम से 7 दिवस में अतिक्रमण हटाने का तो आश्वासन दे दिया, इसके लिए धन्यवाद. सिर्फ एक विषय बचा है उस मिल का ताम्बा, लोहा,पाइप लाइन, बेशकीमती चीज, करोड़ों रुपये की चोरी हो गई है और मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या बेशकीमती जो चीजें वहां की चोरी हो गई है उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही करके पुलिस प्रकरण दर्ज करवायेंगे?

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया--- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह पूरा प्रकरण सहकारी विभाग के अंदर है इसलिए मैं सहकारी विभाग के माननीय मंत्रीजी से बात करके इस विषय में उनको अवगत कराऊँगी.

श्री बहादुर सिंह चौहान--- अध्यक्ष महोदय, जांच आ चुकी है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय--- देखिये अब आप लोग सहयोग करें आपकी बात का बिल्कुल क्लियर उत्तर आ गया है, आप लोग कृपा करके सहयोग करें जैसे आपका विषय महत्वपूर्ण था वैसे ही दूसरों को भी समय दें. अब मैं किसी को एलाऊ नहीं करुंगा.

2.**बुरहानपुर को मेगा डेस्टिनेंशन योजना में शामिल न किया जाना.**

श्रीमती अर्चना चिटनिस (बुरहानपुर)---- माननीय अध्यक्ष महोदय,

मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग के इंदौर को मेगा डेस्टिनेशन बनाये जाने की योजना प्रेषित की गई थी जिसके अनुसार केन्द्र शासन पर्यटन विभाग द्वारा रूपये 2387.61 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, परन्तु उक्त योजना में बुरहानपुर को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इंदौर संभाग में बुरहानपुर जिले में अनेक ऐतिहासिक इमारतें पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उक्त योजना में बुरहानपुर को सम्मिलित करने पर यहां रोजगार के असीमित अवसर उपलब्ध होंगे व सम्पूर्ण बुरहानपुर जिले के विकास को पर्यटन के माध्यम से गति मिलेगी। उक्त योजना में बुरहानपुर को भी शामिल नहीं किए जाने से क्षेत्र की जनता में असंतोष व्याप्त है।

राज्यमंत्री पर्यटन (श्री सुरेन्द्र पटवा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सही है कि मध्यप्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इंदौर एवं उसके आसपास के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मेगा डेस्टीनेशन डेवलेपमेंट की योजना की ₹2371.61 लाख स्वीकृति केन्द्र सरकार पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त की है। इस योजना में इंदौर जिले के 20 पर्यटन स्थल एवं इंदौर जिले की सीमा से लगे संजय सागर जलाशय (जिला धार) पर पर्यटन सुविधाओं के विस्तार का कार्य सम्मिलित है। उक्त योजना में इंदौर संभाग के अन्य जिलों के पर्यटन स्थलों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः तदनुसार ही बुरहानपुर के पर्यटन स्थल भी सम्मिलित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि भारत शासन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिनांक 8/10/2005 को बुरहानपुर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु ₹449.00 लाख की योजंना की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके अनुसार खूनीभंडारा के समीप पर्यटन स्वागत केन्द्र, सत्यारा घाट का विकास, किले की दीवार के भाग का संवर्धन, मार्ग सुविधा का निर्माण, फेसेलिटेशन सेंटर, तथा 17 अन्य स्मारकों का संवर्धन सम्मिलित था। दिनांक 22/12/2009 को केन्द्र सरकार से डेस्टीनेशन डेवलपमेंट ऑफ बुरहानपुर फेस–2 की ₹350.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गई थी जिसके अन्तर्गत मोहना संगम घाट का उन्नयन, अन्य विकास कार्य, इच्छादेवी मंदिर पर विकास कार्य, रोकड़िया हनुमान मंदिर पर विकास कार्य एवं साइनेजेज लगाने का कार्य एवं अन्य विकास कार्य किये गये। बुरहानपुर जिले में मोटा एवं असीरगढ़ में 2 मार्ग सुविधा केन्द्रों का विकास किया गया है। राज्य शासन के बजट से बुरहानपुर स्थित परकोटे के एक भाग का उन्नयन तथा शिवाजी पार्क का विकास कार्य स्वीकृत है। कार्रवाई प्रगति पर है। 13वें वित्त आयोग से बुरहानपुर स्मारकों तक पहुँच मार्ग तथा खूनीभंडारे पर विकास कार्य स्वीकृत है। कार्रवाई प्रगति पर है। बुरहानपुर जिले के विकास हेतु शासन प्रतिबद्ध है अतः यह कहना उचित नहीं है कि बुरहानपुर जिले के पर्यटन क्षेत्र के विकास कार्य हेतु जनता में असंतोष व्याप्त है।

श्रीमती अर्चना चिटनिस—माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बुरहानपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और सदन को बताना चाहती हूं कि दुनिया की पांच धरोहरें ऐसी हैं जो मात्र बुरहानपुर में हैं औऱ कहीं नहीं है. वहाँ पर कुंडीभंडारा अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसमें 80 फीट गहरा पानी,3 किलोमीटर की भूमिगत टनल में बिना किसी आउटसाइड एनर्जी के ग्रेविटी के अगेनस्ट 3 किलोमीटर तक चलकर एयर प्रेशर से कुंडियों के माध्यम से जमीन पर आ जाता है यह अपने आप में एक हैरीटेज की साइट है जो कि दुनिया में कहीं औऱ नहीं है. यहाँ तक कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी उस पर रिसर्च कर के कई सारे कान्क्लूजन्स पर पहुंचा है. दुनिया की एकमात्र गुरुग्रंथ साहब जिस पर गुरु गोविंद सिंह जी के स्वयं के हाथ के हस्ताक्षर हैं वह केवल बुरहानपुर में उपस्थित है. माननीय अध्यक्ष महोदय, बोहरा समाज की जितनी दरगाहें हैं, उनमें से बुरहानपुर की दरगाह एकमात्र ऐसी दरगाह है जो दायी परंपरा से भिन्न मौला अब्दुल कादिर हकीम साहब के ऑनर में वहाँ बनाई गई है . माननीय अध्यक्ष महोदय, बुरहानपुर में एकमात्र मस्जिद ऐसी है जहाँ उर्दू और अरबी के अलावा संस्कृत में कुरान की आयतें लिखी हैं.माननीय अध्यक्ष महोदय, पाँचवीं जो महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि बुरहानपुर के शाही इमाम की आर्चीस पर जो पेंटिंग है, वह ताजमहल की ब्लू प्रिंट है, जिसको देखकर, जिसके अनुसार, ताजमहल का निर्माण किया गया.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया प्रश्न करें.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रही हूँ. अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूँ कि बुरहानपुर को वह सम्मान मिले, जो पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं दिया है, यह बात मंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2005 में पहला डेस्टिनेशन बुरहानपुर का सेंक्शन हुआ. दूसरा डेस्टिनेशन हमें फिर मिला, लेकिन यह मेगा डेस्टिनेशन नहीं थे, यह मेगा सर्किट नहीं था. बुरहानपुर जो फोकस में आया पर्यटन

में, वह मात्र हमारी सरकार के आने के बाद आया और मेरा यह आग्रह है कि बुरहानपुर में जो स्कोप हैं, वह एकमात्र ऐसी जगह है, जहाँ पर रिलेजियस टूरिज्म का स्कोप है, हैरिटेज टूरिज्म का स्कोप है, वॉटर टूरिज्म का स्कोप है, वन मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ईको टूरिज्म का भी स्कोप है और ट्रैकिंग टूरिज्म का भी स्कोप है. बुरहानपुर में जितनी हमारी 132 मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से मात्र 34 तक पहुँचने की जगह है. मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, मैं उनसे अनुनय, विनय, करना चाहती हूँ कि वहाँ का असीरगढ़ का किला है, हमारे नेपानगर के विधायक जी यहाँ बैठे हैं.....

अध्यक्ष महोदय-- आपने सारी जानकारी दे दी है, अब आप प्रश्न कर लीजिए.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- हमारे असीरगढ़ का किला वह है...(व्यवधान)..और स्वयं उनके अपने इस प्रतिवेदन में वे बताते हैं कि....

अध्यक्ष महोदय-- अब आप प्रश्न कर दीजिए, प्रतिवेदन तो मालूम है.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- अध्यक्ष महोदय, एक साल में 61000 से अधिक टूरिस्ट आए. मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आते वर्ष में बुरहानपुर में या तो मेगा डेस्टिनेशन या मेगा सर्किट भारत सरकार को प्रस्तावित करें, उसको सेंग्शन मंत्री जी के साथ मिलकर, हम भारत सरकार से सेंक्शन कराने का पूरा प्रयास करेंगे. अध्यक्ष महोदय, मेरी तीन मांगें हैं....

अध्यक्ष महोदय-- वह तो बहुत देर बाद आई.

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह)-- अध्यक्ष महोदय, दीदी यह समझ रही हैं कि कोई सभा को संबोधित कर रही हैं, नेता प्रतिपक्ष कटारे जी को वह समझ रही हैं...

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, आप कृपा करके बैठ जाएँ. कृपया अब आप सीधे प्रश्न कर दीजिए.

श्रीमती अर्चना चिटनिस-- अध्यक्ष महोदय, मेगा डेस्टिनेशन या मेगा सर्किट भारत सरकार को प्रस्तावित किया जाए. दूसरा है कि हॉस्पिटीलिटी ट्रेनिंग सेंटर बुरहानपुर में प्रारंभ किया जाए

और तीसरा है जो कुण्डी भंडारा है उसके केचमेंट एरिया पर ऑर्किलॉजी और वन विभाग मिलकर प्लांटेशन करे, अगर वहाँ प्लांटेशन नहीं हुआ तो कुंडियाँ....

अध्यक्ष महोदय-- नहीं अब बस. आपके तीन अनुरोध आ गए.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

अध्यक्ष महोदय-- कृपया उत्तर आ जाने दें.

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटारे जी से कहना चाहता हूँ कि —

खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो.

धरना देने से.....(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- वह हंगामा तो कर ही रहे हैं. मंत्री जी, आप अपना उत्तर दें..(व्यवधान)..

श्री रामेश्वर शर्मा—उस कोहराम के शिकार मजदूर और किसान भी हो रहे हैं..(व्यवधान)..उनके बारे में आपने विचार नहीं किया..(व्यवधान)..

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, जो बात हमने उठाई है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपा करके उत्तर आने दें...(व्यवधान)..आप उत्तर दे दीजिए रिकार्ड में आ जाएगा...(व्यवधान)..उत्तर दे दीजिए रिकार्ड में आ जाएगा...(व्यवधान)...**(इंडियन नेश्नल काँग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारेबाजी की गई).** ..(व्यवधान)..आप उत्तर दे दीजिए अपने रिकार्ड में आ जाएगा..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र पटवा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बुरहानपुर को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए रिकार्ड में आ जाएगा...(व्यवधान)..यह रिकार्ड में आने दीजिएगा..(व्यवधान)..रिकार्ड में रखवा दीजिए...(व्यवधान)..आपका जवाब रिकार्ड में दे दीजिएगा...(व्यवधान)..

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्रा)-- रिकार्ड में रख दिया...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- प्रतिवेदन की प्रस्तुति, श्री ओमप्रकाश सखलेचा अपना प्रतिवेदन पढ़ें...(व्यवधान)..

12.38 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

प्राक्कलन समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा(सभापति)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्राक्कलन समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ...(व्यवधान)..

12.39 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय-- आज की कार्यसूची में सम्मिलित सभी याचिकाएँ प्रस्तुत हुई मानी जाएँगी...(व्यवधान)..

12:41 बजे

(व्यवधान)

शासकीय विधि विषयक कार्य

(क्रमांक-1)

मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014** के पुर:स्थापन की अनुमति चाहती हूं.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014** के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई/

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री (विधि और विधायी कार्य):-

अध्यक्ष महोदय, मैं, **मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014** का पुर:स्थापन करती हूं.

12:42 बजे

(:वर्ष 2014-2015 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश

(1)	मांग संख्या-15	अनूसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या-33	आदिम जाति कल्याण
	मांग संख्या-41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
	मांग संख्या-42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
	मांग संख्या-49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण
	मांग संख्या-52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या-53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
	मांग संख्या-64	अनुसूचित जाति उपयोजना
	मांग संख्या-68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.
(2)	मांग संख्या-55	महिला एवं बाल विकास.

अनुदानों की मांग के बारे में प्रस्ताव

श्री ज्ञान सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या	- 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार सात सौ उनसठ करोड़, एक लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या	- 33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार छः सौ तिहत्तर करोड़, तिहत्तर लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या	- 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए आठ हजार तीन सौ बयासी करोड़, सतासी लाख, पचास हजार रूपये
अनुदान संख्या	- 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए पॉंच सौ बीस करोड़, अठासी लाख रूपये,
अनुदान संख्या	- 49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए पचानवे करोड़, तीस लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या	- 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार एक सौ इकसठ करोड़, सोलह लाख, चौंसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या	- 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दो सौ पैंसठ करोड़, सत्तर लाख, दस हजार रूपये,
अनुदान संख्या	- 64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए पॉंच हजार आठ सौ चार करोड़, छप्पन लाख, पचपन हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या	- 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए छियालीस करोड़, उनसठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय – अब, इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या – 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता क्रमांक
श्री रामनिवास रावत	2
श्री बाला बच्चन	3
श्री हर्ष यादव	4
श्री आरिफ अकील	5

मांग संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण
श्री कमलेश्वर पटेल	3
श्रीमती झूमा सोलंकी	5
श्री हरदीप सिंह डंग	6
श्री रामनिवास रावत	7
श्री सुखेन्द्र सिंह (बना)	8
श्री बाला बच्चन	9
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	10
श्री जयवर्द्धन सिंह	11
श्री आरिफ अकील	12
श्री हर्ष यादव	13

मांग संख्या – 41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
श्री हर्ष यादव	1
	2
श्री सचिन यादव	3
श्री आरिफ अकील	4

मांग संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल क्रमांक
श्री सचिन यादव	1
श्री रामनिवास रावत	2
श्री बाला बच्चन	3
श्री आरिफ अकील	4

मांग संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण
श्री आरिफ अकील	1
श्री रामनिवास रावत	2
श्री बाला बच्चन	3
श्रीमती झूमा सोलंकी	5

मांग संख्या – 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
श्री आरिफ अकील	1

मांग संख्या – 64	अनुसूचित जाति उपयोजना
कुंवर विक्रम सिंह	1
श्री रामनिवास रावत	2
श्री बाला बच्चन	3
श्री हर्ष यादव	5
श्री आरिफ अकील	6

अध्यक्ष महोदय:-- आदिम जाति कल्याण मंत्री की अनुदानों की मांग संख्या 15, 33, 41, 42, 49, 52, 53, 64 एवं 68 पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति ने 1 घण्टे 30 मिनिट का समय निर्धारित किया है . तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया है : -

भारतीय जनता पार्टी	1 घण्टा 4 मिनिट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	21 मिनिट
बहुजन समाज पार्टी	3 मिनिट
निर्दलीय	2 मिनिट

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्रा)—आप लोग अनुसूचित जाति और जनजाति पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय – उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.
अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी.

(..व्यवधान..)

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में लगातार नारेबाजी की जाती रही.)

एक माननीय सदस्य – अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत महत्वपूर्ण चर्चा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिये हो रही है लेकिन कांग्रेस के लोग इससे पलायन करना चाहते हैं. मैं इसकी घोर निन्दा करना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – (..व्यवधान..) श्री बाला बच्चन, श्री फुन्देलाल मार्को, श्रीमती झूमा सोलंकी,श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, श्री संजय उईके,श्रीमती सरस्वती सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह बना, श्री रामनिवास रावत..(व्यवधान..) मैंने सभी माननीय सदस्यों के नाम पुकारे. कोई बोल नहीं रहा है न बोलने दे रहा है. माननीय मंत्री जी आप कृपया उत्तर दें.

(..व्यवधान..)

एक माननीय सदस्य – अध्यक्ष महोदय, यहां अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है इस तरह व्यवधान कर रहे हैं.मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं.

श्री ज्ञान सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय,(..व्यवधान..) व्यवधान के कारण हम अपना उत्तर नहीं दे पा रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय – आप अपना उत्तर पटल पर रख दें.

श्री ज्ञान सिंह - ठीक है.

अध्यक्ष महोदय – मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15,33,41,42,49,53,64 एवं 68 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब,मैं, मांगों पर मत लूंगा.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुये राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या -	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार सात सौ उनसठ करोड़, एक लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -	33	आदिम जाति कल्याण के लिए एक हजार छः सौ तिहत्तर करोड़, तिहत्तर लाख, पैंतालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या -	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए आठ हजार तीन सौ बयासी करोड़, सतासी लाख, पचास हजार रूपये
अनुदान संख्या -	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए पॉच सौ बीस करोड़, अठासी लाख रूपये,
अनुदान संख्या -	49	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के लिए पचानवे करोड़, तीस लाख, अठासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या -	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार एक सौ इकसठ करोड़, सोलह लाख, चौंसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या -	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दो सौ पैंसठ करोड़, सत्तर लाख, दस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -	64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए पॉच हजार आठ सौ चार करोड़, छप्पन लाख, पचपन हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए छियालीस करोड़, उनसठ हजार रूपये

तक की राशि दी जाय.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(..व्यवधान..) (कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारेबाजी की जाती रही)

(2) मांग संख्या-55 महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल विकास मंत्री(श्रीमती माया सिंह) – अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च,2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या-55 महिला एवं बाल विकास के लिये दो हजार पांच सौ नवासी करोड़, अठासी लाख,इकसठ हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अब, इस मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे.

मांग संख्या-55 महिला एवं बाल विकास

	क्रमांक
श्री आरिफ अकील	2
श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	4
श्री उमंग सिंघार	6
श्री रामनिवास रावत	7

कुंवर विक्रम सिंह	8
श्री हर्ष यादव	9
श्री बाला बच्चन	10

(..व्यवधान..)

अध्यक्ष महोदय - महिला एवं बाल विकास मंत्री की अनुदान की मांग संख्या 35 पर चर्चा हेतु कार्य मंत्रणा समिति ने 30 मिनिट के समय निर्धारित किया है. तद्नुसार दलीय शक्ति के आधार पर निम्नानुसार समय आवंटित किया है:-

भारतीय जनता पार्टी	21 मिनिट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	7 मिनिट
बहुजन समाज पार्टी	1 मिनिट
निर्दलीय	1 मिनिट

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—कांग्रेस की तरफ से कोई भी नाम इस मांग की चर्चा के लिये नहीं आया है. माननीय मंत्री जी अपना उत्तर पटल पर रख दें. (व्यवधान)

श्रीमती माया सिंह—अध्यक्ष महोदय, जी हां.

अध्यक्ष महोदय—मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-55 ,पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

अब मैं, मांग पर मत लूंगा.

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को—

अनुदान संख्या-55	महिला एवं बाल विकास के लिये दो हजार पांच सौ नवासी करोड़, अठासी लाख, इकसठ हजार रूपये, तक की राशि दी जाये.

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार दिनाँक 22 जुलाई, 2014 के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 12.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 22 जुलाई, 2014(31 आषाढ़ शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक-21 जुलाई, 2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा